[2022] 19 एस. सी. आर. 711

जरनैल सिंह और ओआरएस।

वी.

लछमी नारायण गुप्ता और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील No.629)

28 जनवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और

बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जेजे।]

भारत का संविधान, 1950-कला। 16 (4) , 16 (4 - ए), 16 (4-बी) और 335-पदोन्नति में आरक्षण-मात्रात्मक संग्रह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा

जिसके परिणामस्वरूप कलाएँ होती हैं। 16 (4 - ए) और 16 (4-बी)-उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा-संशोधनों को माना गया सक्षम प्रावधान-यह देखा गया कि राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि, यदि वह अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो राज्य को संग्रह करना होगा।

संविधान के Art.335 के अनुपालन के अलावा, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता क्या है वह पैमाना जिसके द्वारा, एम. नागराज मामले के अनुसार, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा पर पहुंचा जा सकता है

सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोजितः प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के परिणामस्वरूप

राज्य सरकारों को दिए गए विवेकाधिकार को कम करना-इसके अलावा, मौजूदा स्थानीय स्थितियां, जिनमें कारक होने की आवश्यकता हो सकती है, समान नहीं हो सकती हैं-इसके अलावा, एम. नागराज मामले में, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून की वैधता का निर्णय एक मामले के आधार पर किया जाएगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या अपर्याप्तता है।

प्रतिनिधित्व का समर्थन मात्रात्मक आंकड़ों द्वारा किया जाता है-इसलिए, पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य-आरक्षण।

[2022] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान, 1950-कला। 16 (4) , 16 (4 - ए), 16 (4-बी) और पदोन्नति में 335 आरक्षण-मात्रात्मक संग्रह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा-इकाई

मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए-एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रमुख मुद्दे की पहचान की गई और निर्णय लिया गया वह यह था कि क्या

Art.16 (4) और Art.335 में उल्लिखित कोई भी संवैधानिक सीमा कला में परिणामी संवैधानिक संशोधनों द्वारा मिटा दिया गया।

16 (4 - ए) और 16 (4-बी)-उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा-संशोधनों को सक्षम प्रावधान माना गया

- यह देखा गया कि राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है

पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, हालांकि, यदि वह अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा

वर्ग के पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को दर्शाते हुए

सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व, इसके अलावा संविधान के Art.335 का अनुपालन-किसके साथ इकाई है?

जिसके संबंध में अपर्याप्तता दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा प्रतिनिधित्व एकत्र किया जाना आवश्यक है-आयोजितः एम. नागराज में

मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी कि आरक्षण का प्रतिशत पदोन्नति में पूरे कैडर की ताकत पर लागू किया जाना था, जैसा कि आयोजित किया गया था

यह स्पष्ट किया कि रोस्टर के संचालन के लिए इकाई होगी पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से पहले संवर्ग की संख्या

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता-संग्रह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में जानकारी

यह पूरी सेवा या 'वर्ग'/'समूह' के संदर्भ में नहीं हो सकता है लेकिन यह उन पदों के ग्रेड/श्रेणी से संबंधित होना चाहिए जिन पर

पदोन्नति की मांग की जाती है-संवर्ग, जो प्रचार के संबंध में मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से इकाई होनी चाहिए।

पद (ओं), अर्थहीन होगा यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा पूरी सेवा-आरक्षण के संदर्भ में है।

भारत का संविधान, 1950-कला। 16 (4) , 16 (4 - ए), 16 (4-बी) और 335-पदोन्नति में आरक्षण-संबंधित मात्रात्मक डेटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आनुपातिक प्रतिनिधित्व

पर्याप्तता का परीक्षण-एम. नागराज मामले में प्रमुख मुद्दा जिसकी पहचान की गई थी

और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कि क्या कोई संवैधानिक कला में उल्लिखित सीमा। 16 (4) और Art.335 द्वारा मिटा दिया गया था

कला में परिणामी संवैधानिक संशोधन। 16 (4 - ए) और 16 (4 बी)-सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधनों-जरनैल सिंह और ORS.v को बरकरार रखा।

लछमी नारायण गुप्ता

संशोधनों को सक्षम प्रावधान माना गया था

यह था।

यह पाया गया कि राज्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है

पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों को, हालांकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और उसके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।

Art.335 के अनुपालन के अलावा, सार्वजनिक रोजगार में वर्ग

संविधान का-चाहे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात और भारत की आबादी के लिए अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए परीक्षा के रूप में लिया जाना चाहिए

कला के उद्देश्य। 16 (4 - ए)-आयोजितः एम. नागराज मामले में, अदालत का विचार था कि मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें स्थानीय प्रचलित मामलों के संदर्भ में प्रशासन द्वारा परस्पर विरोधी दावों को अनुकूलित किया जाता है। सार्वजनिक रोजगार में स्थितियाँ-चूंकि समानता, न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं और संदर्भ-विशिष्ट हैं, इन कारकों की पहचान कैसे की जानी चाहिए और प्रति-संतुलित होना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा-जरनैल सिंह के मामले में अदालत ने राज्य में पदोन्नति के पदों पर प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए परीक्षण के संबंध में एम. नागराज मामले में कोई गलती नहीं पाई-यह है

राज्य के लिए प्रासंगिक कारकों-आरक्षण को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करना।

भारत का संविधान, 1950-कला। 16 (4) , 16 (4 - ए), 16 (4-बी)

और 335-पदोन्नति में आरक्षण-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में मात्रात्मक डेटा-अवधि की समीक्षा

समीक्षा के लिए-एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रमुख मुद्दे की पहचान की गई और निर्णय लिया गया, वह यह था कि क्या अनुच्छेद में उल्लिखित कोई संवैधानिक सीमा है। 16 (4) और Art.335 कला के परिणामस्वरूप संवैधानिक संशोधनों द्वारा मिटा दिया गया। 16 (4 - ए) और 16 (4 बी)-उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा -

संशोधनों को सक्षम प्रावधान माना गया था

यह था।

यह मत व्यक्त किया कि राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि, यदि वह विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और उसके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। सार्वजनिक रोजगार में वर्ग, संविधान के Art.335 के अनुपालन के अलावा-क्या प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की समीक्षा के लिए कोई समय अवधि होनी चाहिए-आयोजितः निर्धारित करने के लिए डेटा एकत्र किया गया

[2022] 19 एस. सी. आर. प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पदोन्नति में आरक्षण की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए-समीक्षा की अवधि उचित होनी चाहिए और आरक्षण निर्धारित करने के लिए सरकार पर छोड़ दी जानी चाहिए।

भारत का संविधान, 1950-कला। 16 (4) , 16 (4 - ए), 16 (4-बी), 142 और 335-पदोन्नति में आरक्षण-संभावित संचालन

एम. नागराज मामले में निर्णय का-एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रमुख मुद्दे की पहचान और निर्णय किया गया था, वह यह था कि क्या अनुच्छेद में उल्लिखित कोई संवैधानिक सीमा है। 16 (4) और Art.335 कला के परिणामस्वरूप संवैधानिक संशोधनों द्वारा मिटा दिया गया। 16 (4 - ए) और 16 (4-बी)-उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा-संशोधनों को माना गया

सक्षम प्रावधान-यह देखा गया कि राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है - पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दें, हालांकि, यदि वह अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो राज्य को संग्रह करना होगा

वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाला मात्रात्मक डेटा और

संविधान के Art.335 के अनुपालन के अलावा, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता-क्या एम. नागराज मामले में निर्णय को संभावित रूप से संचालित करने के लिए कहा जा सकता है - आयोजित किया गयाः गोलक नाथ और अशोक कुमार के मामलों में, यह अनुच्छेद निर्धारित किया गया था। 142 संविधान की धारा उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए राहत को ढालने का अधिकार देती है-यह अभिनिर्धारित करने का उद्देश्य कि एम. नागराज का संभावित प्रभाव होगा, केवल अराजकता और भ्रम से बचना है जो इसके पूर्वव्यापी संचालन से उत्पन्न होगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ेगा।

कर्मचारी, जिन्होंने एम. नागराज मामले में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन किए बिना पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाया होगा-उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके होंगे एम. नागराज का निर्णय 2006 में कला की व्याख्या करते हुए दिया गया था। 16 (4 - ए) संविधान का जो 1995 में लागू हुआ -

एम. नागराज में वर्ष 1995 से प्रभावी सिद्धांत कई सिविल सेवकों के हितों के लिए हानिकारक होंगे और लंबे समय तक व्यक्तियों की वरिष्ठता को अस्थिर करने का प्रभाव पड़ेगा, एम. नागराज का निर्णय होना चाहिए

संभावित प्रभाव घोषित किया गया-आरक्षण।

भारत का संविधान, 1950-कला। 16 (4) , 16 (4 - ए), 16 (4-बी) और 335-पदोन्नति में आरक्षण-संबंधित मात्रात्मक डेटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता-एम. नागराज मामले में जरनैल सिंह और ORS.v।

लछमी नारायण गुप्ता

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रमुख मुद्दे की पहचान की गई और निर्णय लिया गया वह यह था कि क्या Art.16 (4) और Art.335 में उल्लिखित कोई संवैधानिक सीमा कला के परिणामस्वरूप हुए संवैधानिक संशोधनों द्वारा समाप्त हो गई थी। 16 (4 - ए) और 16 (4-बी)-उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा-संशोधनों को माना गया

सक्षम प्रावधान-यह देखा गया कि राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि, यदि वह अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो राज्य को संग्रह करना होगा।

वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाला मात्रात्मक डेटा और

संविधान के Art.335 के अनुपालन के अलावा, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता-क्या प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा को नमूना विधियों के आधार पर एकत्र किया जा सकता है, जैसा कि अदालत ने बी. के. पवित्रा द्वितीय मामले में कहा था-अभिनिर्धारित किया गयाः राज्य को उस संवर्ग के संबंध में पदोन्नति में आरक्षण को उचित ठहराना चाहिए जिसमें पदोन्नति की जाती है-एक 'समूह' से संबंधित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, जो एक सेवा में कुछ संवर्गों का एक समामेलन होगा, संवर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की सही तस्वीर नहीं देगा, जिसके संबंध में पदोन्नति में आरक्षण की मांग की जाती है-संवर्ग में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए।

पदोन्नति, कैडर, जो एक 'समूह' का एक हिस्सा है, इकाई है और प्रत्येक कैडर के संबंध में डेटा एकत्र किया जाना है-इसलिए, बी. के. पवित्रा द्वितीय मामले में अदालत का निष्कर्ष

कैडरों के बजाय 'समूहों' के आधार पर आंकड़ों का संग्रह करना इसके विपरीत है

एम. नागराज और जरनैल सिंह मामलों में निर्धारित कानून।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 142 - कला. 142 संविधान सर्वोच्च न्यायालय को राहत देने के लिए अधिकार देता है

पूर्ण न्याय।

सिद्धांत/सिद्धांत-संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत

- चर्चा की।

कार्यपालिका को उस क्षेत्र के संबंध में सलाहकार उपदेश जो संविधान के तहत विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में है। सेवा न्यायशास्त्र-शब्द "संवर्ग"----------
---

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुद्दों का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

1. गुणवत्तापूर्ण स्थान पर पहुँचने के लिए यार्डस्टिक

आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य का विवेकाधिकार पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के अस्तित्व के अधीन है। यह आगे माना गया कि पिछड़ेपन को वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना चाहिए जबकि अपर्याप्तता तथ्यात्मक रूप से मौजूद होनी चाहिए। समानता, न्याय और दक्षता की पहचान करने के लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है जो परिवर्तनशील कारक हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायालय की आगे यह राय थी कि दक्षता, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की अवधारणाओं की पहचान और माप की आवश्यकता है -

आँकड़ों का आधार। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को चुनौती देने के मामले में, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे कि निर्णय वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों द्वारा समर्थित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता। [पैरा 11] [732-ई-एच]

1.2 . दक्षता, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की अवधारणाओं की पहचान करने और मापने का अभ्यास

आंकड़ों का आधार कई कारकों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सक्षम प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी दावा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। इन परस्पर विरोधी दावों का सर्वोत्तम अनुकूलन कैसे किया जाना चाहिए, यह केवल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में स्थानीय प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। [पैरा 12] [733-ए-बी]

संविधान के तहत उनके अधिकार क्षेत्र। [पैरा 14] [733-ए-डी] 1.4 . किसी राज्य के तहत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जरनैल सिंह और ORS.v।

क्योंकि निर्धारण असंख्य कारकों पर निर्भर करता है जिनकी अदालत परिकल्पना नहीं कर सकती है। एम. नागराज और जरनैल सिंह के मामले में अदालत ने एक सचेत निर्णय लिया कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया जाए। द.

भारत के लिए महान्यायवादी का निवेदन कि न्यायालय को पर्याप्तता को मापने के लिए मानदंड निर्धारित करना है

प्रतिनिधित्व का कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला क्योंकि जरनैल सिंह मामले में अदालत ने राज्यों के लिए सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता को उचित पाया। रोजगार। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने से राज्य सरकारों को दिए गए विवेकाधिकार में कमी आएगी। इसके अलावा, प्रचलित स्थानीय परिस्थितियाँ, जिनमें कारक होने की आवश्यकता हो सकती है, समान नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा, एम. नागराज मामले में, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कानून की वैधता का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाएगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता मात्रात्मक आंकड़ों द्वारा समर्थित है या नहीं। इसलिए, आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। [पैरा

16] [734 - डी-एच]

2. मानक डेटा एकत्र करने के लिए इकाई

2.1 . M.Nagaraj मामले में, न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त सरकार को रोस्टर के संचालन में एक इकाई के रूप में कैडर संख्या को लागू करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी दिए गए वर्ग/समूह का सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। संवर्ग

एक इकाई के रूप में शक्ति यह भी सुनिश्चित करती है कि 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन न हो। आर. के. सभरवाल में निर्धारित कानून का पालन करते हुए, एम. नागराज की अदालत ने आगे कहा कि रोस्टर पद-विशिष्ट होना चाहिए न कि रिक्ति आधारित। [पैरा 19] [736-ए बी]

2.2 . एम. नागराज मामले में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह राज्य के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए खुला है, बशर्ते कि

सीमा कि इसके लिए बाध्यकारी कारण मौजूद होने चाहिए पिछड़ेपन, समग्र प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए पदों के एक वर्ग में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता।

रोस्टर का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त सरकार को कैडर की ताकत को एक इकाई के रूप में लागू करना होगा यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी दिए गए वर्ग/समूह का सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, रोस्टर का संचालन। का संग्रह

जरनैल सिंह के अनुसार, एम. नागराज द्वारा निर्धारित प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में मात्रात्मक डेटा संबंधित कैडर से संबंधित है। [पैरा 20] [736-बी-डी] 2.3 . यह सांविधिक व्यवस्था और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से स्पष्ट है कि सिविल पदों के तहत

सरकार विभिन्न सेवाओं में संगठित होती है। एक सेवा पदों के 'वर्ग'/'समूह' का गठन करती है। एक 'वर्ग'/समूह 'को आगे श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हालांकि नामकरण हो सकता है

संघ और राज्यों के तहत सेवाओं की संरचना समान है। भारत संघ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए संवर्गों का गठन किया जाता है। मौलिक नियम

9 (4) "कैडर" को एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा या सेवा के हिस्से की ताकत के रूप में परिभाषित किया गया है। कैडरों का गठन करना किसी राज्य का निर्णय होता है। पूरी सेवा को एक पद से दूसरे ग्रेड में उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से एक संवर्ग नहीं माना जा सकता है। पदोन्नति एक श्रेणी से अगली उच्च श्रेणी में की जाती है, जिसके संबंध में संवर्गों का गठन किया जाता है। एक संवर्ग का गठन सरकार द्वारा अपने विवेकाधिकार के भीतर कई कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। [पैरा 28] [741-सी-एफ]

2.4 . 02.07.1997 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन में, भारत संघ ने निर्माण और संचालन के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया

जिनकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और पदोन्नति में आरक्षण इन रोस्टरों के आधार पर लागू किया जाता है, जो ग्रेड-वार काम करते हैं। एम. नागराज में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत पूरे संवर्ग की संख्या पर लागू किया जाना था, जैसा कि आर. के. सभरवाल में हुआ था। ऐसा करते हुए, एम. नागराज की अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इकाई के लिए रोस्टर का संचालन कैडर की ताकत होगी। किसी संवर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से पहले, राज्य जरनैल सिंह और ORS.v की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है।

लछमी नारायण गुप्ता

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में जानकारी का संग्रह पूरी सेवा या 'वर्ग'/समूह 'के संदर्भ में नहीं हो सकता है, लेकिन यह उस श्रेणी/श्रेणी के पदों से संबंधित होना चाहिए जिससे पदोन्नति की मांग की जाती है। संवर्ग, जो संबंध में मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य के लिए इकाई होनी चाहिए

यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा पूरी सेवा के संदर्भ में है, तो प्रचार पद (पद) का कोई अर्थ नहीं होगा। [पैरा 29] [741-एफ-एच; 742-ए-बी]

3. परीक्षण के रूप में प्रस्तावित प्रतिनिधित्व

समानता

आर. के. सभरवाल में यह देखा गया कि राज्य सरकारें किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल आबादी को ले सकती हैं और

राज्य सेवाओं में इसका प्रतिनिधित्व इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से कि राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। राज्य सेवाएँ। एम. नागराज के मामले में, न्यायालय का विचार था कि मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में स्थानीय प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में प्रशासन द्वारा परस्पर विरोधी दावों को अनुकूलित किया जाता है। चूंकि समानता, न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं और संदर्भ-विशिष्ट हैं, इसलिए इन कारकों की पहचान कैसे की जानी चाहिए और उन्हें कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जरनैल सिंह के मामले में अदालत ने राज्य में पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए परीक्षण के संबंध में एम. नागराज के साथ कोई गलती नहीं पाई। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) के बीच उपयोग की जाने वाली भाषा में अंतर पर जोर देते हुए, न्यायालय ने भारत के लिए महान्यायवादी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया

यह अभिनिर्धारित करना कि भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए परीक्षा होनी चाहिए

पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व। इसलिए, यह न्यायालय इस पहलू पर कोई राय व्यक्त करने के लिए राजी नहीं है। यह इसके लिए है

राज्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करे। [पैरा 30] [742-सी-जी]

4. समीक्षा के लिए समय अवधि

दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग सर्वसम्मति है कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता स्थापित करने के लिए एकत्र किए गए डेटा, [2022] 19 एस. सी. आर.

जो पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करने का आधार है, उसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। यह न्यायालय आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने पर कोई विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो पूरी तरह से विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। जहां तक समीक्षा का संबंध है, प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए एकत्र किया गया डेटा

पदोन्नति में आरक्षण की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा की अवधि उचित होनी चाहिए और इस पर छोड़ दी जानी चाहिए सरकार बाहर निकलने के लिए। [पैरा 31] [742-एच; 743-सी-डी]

5. निर्णय का संभावित संचालन

इन एम. नागराज गोलक नाथ और अशोक कुमार के मामलों में, यह निर्धारित किया गया था कि संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है -

पूर्ण न्याय करने के लिए राहत को ढालें। रखने का उद्देश्य

कि एम. नागराज का संभावित प्रभाव केवल अराजकता और भ्रम से बचने के लिए होगा जो इसके पूर्वव्यापी से उत्पन्न होगा। संचालन, क्योंकि इसका बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ेगा, जिन्होंने एम. नागराज में निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन किए बिना पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाया होगा। उनमें से अधिकांश पहले से ही

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए। एम. नागराज का निर्णय 2006 में दिया गया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) की व्याख्या की गई थी जो 1995 में लागू हुआ था। चूंकि एम. नागराज में निर्धारित सिद्धांतों को वर्ष 1995 से प्रभावी बनाना कई लोगों के हितों के लिए हानिकारक होगा। सिविल सेवकों और लंबे समय तक व्यक्तियों की वरिष्ठता को अस्थिर करने का प्रभाव पड़ता है, यह आवश्यक है कि M.Nagaraj के निर्णय का संभावित प्रभाव घोषित किया जाए। [पैरा 42] [752-जी; 753-ए-सी]

6. गुणवत्तापूर्ण डेटा और नमूना लेने की विधि

6.1 . अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, जैसा कि एम. नागराज मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है। नागराज और जरनैल सिंह के अनुसार, आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से इकाई एक संवर्ग है। आरक्षण प्रदान करने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से

पदोन्नति में, पूरी सेवा को एक इकाई के रूप में नहीं लिया जा सकता है और एक संवर्ग के रूप में माना नहीं जा सकता है। [पैरा 45] [755-एफ-जी] जरनैल सिंह और ORS.v।

लछमी नारायण गुप्ता

6.2 . राज्य को उस संवर्ग के संबंध में पदोन्नति में आरक्षण को उचित ठहराना चाहिए जिसमें पदोन्नति की जाती है। में लेना।

एक 'समूह' से संबंधित डेटा, जो एक सेवा में कुछ कैडरों का एक समामेलन होगा, कैडर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की सही तस्वीर नहीं देगा, जिसके संबंध में पदोन्नति में आरक्षण की मांग की जाती है। रोस्टर तैयार कैडर-बुद्धिमान होते हैं न कि समूह-बुद्धिमान। रत्न प्रभा द्वारा अपनाई गई नमूना लेने की विधि समिति (जिसने 'कर्नाटक में पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता पर रिपोर्ट' प्रस्तुत की थी) आंकड़ों के संग्रह के लिए उपयुक्त एक सांख्यिकीय सूत्र हो सकती है। हालांकि, पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से, कैडर, जो एक 'समूह' का हिस्सा है, इकाई है और डेटा एकत्र किया जाना है

प्रत्येक संवर्ग के संबंध में। इसलिए, बी. के. पवित्रा द्वितीय मामले में अदालत का 'समूहों' के आधार पर डेटा संग्रह को मंजूरी देने का निष्कर्ष, एम. नागराज और जरनैल सिंह मामले में अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। [पैरा 47] [756-डी-जी]

एम. नागराज और Ors.v। भारत संघ और अन्य। (2006) 8

एससीसी 212: [2006] 7 पूरक। एससीआर 336-आयोजित

संभावित रूप से लागू। आई. सी. गोलक नाथ और अन्य। वी. पंजाब और अन्र राज्य। [1967]

2 एस. सी. आर. 762 और अशोक कुमार गुप्ता और अन्र। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। (1997) 5 एससीसी 201 [1997] 3 एससीआर 269 - पर भरोसा किया।

ए. के. सुब्रमण्यन और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1975) 1 एससीसी 319: [1975] 2 एस. सी. आर. 979; डॉ. चक्रधर पासवान बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (1988) 2 एससीसी 214: [1988] 3 एस. सी. आर. 130; इंद्रा साहनी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454; भारत संघ और अन्य। वी. विरपाल सिंह

चौहान और ओआरएस। (1995) 6 एससीसी 684: [1995] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 158; त्रिपुरा राज्य और अन्य। वी. जयंत

चक्रवर्ती और ओआरएस। (2018) 1 एस. सी. सी. 146: [2017] 11 एस. सी. आर. 247; महाराष्ट्र राज्य और अन्र। वी. विजय घोगरे और अन्य। (2018) 17 एस. सी. सी. 261; जरनैल सिंह और अन्य। वी. लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य। (2018) 10 एससीसी 396:

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुमार और ओआरएस। (2012) 7 एस. सी. सी. 1; मल्लिकार्जुन राव और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1990) 2 एससीसी 707 [1990] 2 एससीआर 418; आसिफ हमीद और अन्य। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। 1989 सप. 2 एससीसी 364: [1989] 3 एस. सी. आर. 19; पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 578; आर. के. सभरवाल और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। (1995) 2 एससीसी 745: [1995] 2 एस. सी. आर. 35; के. मणिकराज बनाम। भारत संघ (1997) 4 एस. सी. सी. 342 [1997] 3 एस. सी. आर. 504; भारत संघ बनाम। पुष्प रानी और अन्य। (2008) 9 एससीसी 242: [2008] 11 एस. सी. आर. 440; राजस्थान राज्य बनाम फतेह् चंद सोनी (1996) 1 एससीसी 562: [1995] 6 पूरक। एससीआर 559; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी और अन्य। (2016) 4 एस. सी. सी. 236 [2016] 2 एस. सी. आर. 426; उप-निरीक्षक रूपलाल

& एन. आर. वी. उपराज्यपाल और अन्य। (2000) 1 एससीसी 644: [1999] 5 पूरक। एससीआर 310; रवि एस. नाइक बनाम। भारत संघ और

ओआरएस। , 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 641: [1994] 1 एससीआर 754; लिली थॉमस और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। (2000) 6 एस. सी. सी. 224 [2000] 3 एस. सी. आर. 1081; उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य। 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 430: [1991] 2 एस. सी. आर. 105; सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य (2001) 5 एससीसी 519: [2001] 3 एस. सी. आर. 33; महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे बनाम। रंगाचारी [1962] 2 एस. सी. आर. 586; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम। भारत संघ और अन्य। (1996) 5 एससीसी 281: [1996] 1 पूरक। एस. सी. आर. 507; गोवा रियल एस्टेट और

चंदर शेखर और अन्र। (अशोक कुमार शर्मा मामला सं. I) 1993 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 611: [1992] 3 पूरक। एससीआर 768; अशोक कुमार शर्मा और अन्य। वी. चंदर शेखर और अन्र। (अशोक कुमार शर्मा मामला सं। II) (1997) 4 एस. सी. सी. 18 [1997] 2 एस. सी. आर. 896; एच. एच. महाराजाधिराज ग्वालियर के माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर जरनैल सिंह & ORS.v।

लछमी नारायण गुप्ता

& ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (1971) 1 एससीसी 85: [1971] 3 एस. सी. आर. 9 और गिरनार ट्रेडर्स बनाम. की स्थिति

महाराष्ट्र और ओआरएस। (2007) 7 एससीसी 555: [2007] 9 एससीआर

383 संदर्भित किया गया।

कुह्न वी। फेयरमोंट कोल कं. 215 यू. एस. 349 (1910);

वी. ओहायो 643 367 यू. एस. 643 (1961); सप्ताह बनाम। संयुक्त राज्य 232 यू. एस. 383 (1914); वुल्फ बनाम। कोलोराडो 338 संयुक्त राज्य अमेरिका 25

(1949) - संदर्भित किया गया।

ब्लैकस्टोन, कमेंटरीज़ (15 वाँ संस्करण। 1809)-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा

2

[1995] 4 पूरक। एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

संभावित रूप से आयोजित

[2006] 7 पूरक। एससीआर 336

लागू होता है

पैरा

7

[2017] 11 एससीआर 247

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

(2018) 17 एस. सी. सी. 261

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

[2018] 10 एससीआर 663

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

[2019] 7 एससीआर 1086

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

(2012) 7 एससीसी 1

पैरा

12

संदर्भित किया गया है

[1990] 2 एससीआर 418

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[1989] 3 एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

(2002) 4 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1995] 2 एससीआर 35

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[1975] 2 एससीआर 979

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[1988] 3 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[1997] 3 एससीआर 504

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[2008] 11 एससीआर 440

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1995] 6 पूरक। एससीआर 559

संदर्भित किया गया है

[2016] 2 एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[1999] 5 पूरक। एससीआर 310

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[1994] 1 एससीआर 754

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2000] 3 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1967] 2 एससीआर 762

उस पर भरोसा करें

पै

रा 34

[1997] 3 एससीआर 269

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[1991] 2 एससीआर 105

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2001] 3 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[1962] 2 एससीआर 586

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1996] 1 पूरक। एससीआर 507

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2010] 3 एससीआर 1160

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2003] 3 पूरक। एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1992] 3 पूरक। एससीआर 768

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1997] 2 एससीआर 896

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1971] 3 एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[2007] 9 एससीआर 383

पै

रा 41

संदर्भित किया गया है

सिविल अपील/मूल/अप्रत्यक्ष

न्यायनि

र्णयन

: 2022 की सिविल अपील No.629

उच्च न्यायालय के 15.07.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.13218 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील Nos.630,631,632,636,635,633,637,638,642,753,

759 , 643-644 , 646 , 703-704 , 735 , 645 , 713 और 2022 का 648, सिविल अपील Nos.4876-4877,4878-4879,2017 का 4880,4881,4882, सिविल अपील

नं. 11817 , 11816 और 2016 की 11820, सिविल अपील 2022 की No.651, सिविल अपील 2017 की Nos.4833 और 701-704, सिविल अपील 2017 की Nos.11822 11825,11837-11840,11842-11845,11829-11832, <ID15 और 2016 की 11828,2017 की अवमानना याचिका (C) 2017 की सिविल अपील 2017 की Nos.4562 4564, सिविल अपील Nos.734,724-727,2022 की 736,2017 की अवमानना याचिका (C) 2017 की सिविल अपील 2017 की Nos.4562-4564, अवमानना याचिका (C) 2016 की No.314 2012 की एस. एल. पी. (C) No.4831 में।

लछमी नारायण गुप्ता

2016 की सिविल अपील No.5247, टी. पी. (ग) 2017 का Nos.608-609, सिविल

अपील Nos.652,764,656,654-655,647,649,650,653,657,663,754,755,768-775,752,659-660,658,683-694,661,765,761-763,777-780,766,776,767 और 2022 की 662, एस. एल. पी. (सी). 2017 की @डायरी No.38895, सिविल अपील Nos.677,678,670,671,679,672,673,674,707,708,772,757,715-723, <ID30 11837-11840 2016 का

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, सुश्री माधवी दीवान, बलबीर सिंह, संजय जैन, विक्रमजीत बनर्जी, रूपिंदर सिंह सूरी, अमन लेखी,

एएसजी, सौरभ मिश्रा, विनोद दिवाकर, एएजीएस, आर. बालासुब्रमण्यम, के. एम. नटराज, पी. एस. पटवालिया, सुश्री किरण सूरी, डॉ. राजीव धवन, डॉ. मेनका गुरुसामी, आर. डी. अग्रवाल, संजय आर. हेगड़े, रंजीत कुमार, कृष्णन वेणुगोपाल, श्याम दीवान, निधेश गुप्ता, राणा मुखर्जी, सुश्री इंदिरा जयसिंह, अतुल यशवंत चिताले, सुश्री सौम्या चक्रवर्ती, सुश्री प्रिया हिंगोरानी, सुश्री नलिनी चिदंबरम, राकेश द्विवेदी, बसंत कुमार चौधरी, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकर नारायण, डी. के. गोस्वामी, वी. के. शुक्ला, राकेश खन्ना, कपिल सिब्बल। गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. के. मारोरिया, राजेश रंजन, श्याम गोपाल, सुश्री श्रद्धा देशमुख, राजन कुमार चौरसिया, सुश्री चिन्मायी चंद्र, अपूर्व कुरुप, सिद्धांत कोहली, अंकुर तलवार, सुहासिनी सेन, सुश्री।

दीपावली दत्ता, ए. के. शर्मा, अमरीश कुमार, बी. वी. बलराम दास, गुरमीत सिंह मक्कर, डी. एल. चिदानंद, एस. एस. रेबेलो, मेहूल गुप्ता, बी. के. सतीजा, सुश्री रुचि कोहली, अवनीश अर्पुथम, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, मनीष कुमार, प्रतीक आर. बॉम्बार्डे, सूरज कुमार, देवेंद्र सिंह, अजय सिंह, प्रदीप एस. वाथोर, देवेंद्र कुमार, अभिषेक

कुमार, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, सुश्री राखी एम., सुश्री श्रुति अय्यर, सुश्री नेहा जैन, वैभव सभरवाल, डॉ. के. एस. चौहान, अजीत कुमार [2022] 19 एस. सी. आर.

एक्का, मुरारी लाल, आर. एस. एम. कल्कि, अजीत कुमार, रवि प्रकाश, संदीप मलिक, सुमित किशोर, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुनील कुमार, एस. पी. सिंह, के. सी. लांबा, रमेश कुमार, अभिनव मुखर्जी, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुश्री बिहू शर्मा, अक्षय सी. श्रीवास्तव, सुश्री प्रेरणा मेहता, सुश्री नरेश आदित्य माधव, सुश्री श्रेयस गाचे, विशाल जोगदंड, सुश्री स्वाति वैभव, अक्षय अमृतांशु, डॉ. गुणरतन सदावर्ते, डॉ. जय श्री पाटिल, राज सिंह राणा, पंकज कुमार सिंह, पवन कुमार शुक्ला, कमल कुमार पांडे, मकरंद प्रताप सिंह।

रावत, सोमराज चौधरी, कुमार परिमल, स्मारहर सिंह, संजीव चौधरी, प्रशांत आर. दहट, संघराज डी. रूपवाटे, विजय

अन्नपूरानी, रवींद्र केशवराव अदसुरे, सिद्धेश्वर नामदेव बिरादर, यश प्रशांत सोनावने, योगेश रमेश जोशी, रजत सहगल, विकास मेहता, डॉ. सुखदेव शर्मा, डॉ. शिवानी, जे. बी. मुद्गल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री संस्कृति पाठक, सुयश गुरु, अमोल श्रीवास्तव, संदीप देवाशीष दास, सुश्री अलका सिन्हा, अनुव्रत शर्मा, चंदन कुमार, माया प्रसाद, पी. सोमा सुंदरम, सुयश मोहन गुरु, सुश्री ललिता कौशिक, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, डी. एस. रावत, कुमार परिमल, स्मार सिंह, मनोज रंजन सिन्हा, अंकुर पांडे, पी. वी. योगेश्वरन, बाबुल कुमार, रणधीर सिंह, अमित पाल, वैभव जोशी, सुहास रत्न जोशी, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अनमोल चंदन, जी. एस. मक्कर, प्रवीण जैन, डॉ. कृष्ण सिंह चौहान, फुजैल अहमद अयूबी, सुश्री कनिष्का प्रसाद, इबादत मुश्ताक, एम. एल. लाहोटी,

पबन के शर्मा, अंचित श्रीपत, पी. एन. शर्मा, हिमांशु गुप्ता, मनोज सी. मिश्रा, सुश्री रेखा पांडे, एल. सी. पटने, राघव पांडे, अल्डनिश रेन, सुश्री महेराविश रेन, संजय खार्डे, सत्यजीत खार्डे, सुनील कुमार वर्मा, डी. रामकृष्ण रेड्डी, एस. आसिफ अली जैदी, सुश्री डी. भारती जरनैल सिंह और ORS.v।

लछमी नारायण गुप्ता

रेड्डी, मृगांक प्रभाकर, सुश्री तृष्णा दास, सुश्री साक्षी बंगा, सुश्री तनुज बग्गा, सहर्ष जौहरी, कुलदिप सिंह, आदित्य सोनी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, शिवम सिंह, यशार्थ कांत, बी.

करुणाकरन, एम. आर. जोथिमानियन, के. बालू, जी. संजय, एस. गौतम, नितिन मेशराम, सौरभ सिंह, ऋषि राज सिंह, रणबीर सिंह यादव, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री मृणाल कंवर, सजल जैन, सुदर्शन राजन, महेश कुमार, रमेश रावत, हितेन बजाज, रोहित भारद्वाज, ए. वेंकटेश, एडीएन राव, राहुल मिश्रा, सुश्री अनन्या खंडेलवाल, सुश्री संगीता एमआर, सुश्री अग्रिमा सिंह, विशाल गुप्ता, धीरज कुमार द्विवेदी, अविजीत भट्टाचार्जी, सुश्री उपमा श्रीवास्तव, अभय कांत मिश्रा, दिनेश पी. राजभर, मयंक सी. एल.

पोटाराजू, गाइचांगपोउ गंगमेई, सुश्री शिवानी तुशीर, आयुष, अभय कुमार, श्रीहर्ष नहुष बुंदेला, कुमार मिलिंद, शगुन रुहिल, विशाल नौटियाल, कुमार परिमल, स्मारहर सिंह, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, राकेश राठौड़, आदित्य ए पांडे, जियो जोसेफ, नमित सक्सेना,

सुधांशु चंद्र, अवनीश मैथानी, सुश्री आरुषि धवन, पी. वी. दिनेश, विकल्प मुद्गल, क्षितिज मुद्गल, सुश्री मोनिका गोयल, निहाल राठौर, सत्य मित्रा, सुश्री के. सारदादेवी, आर. विजयानंदन रेड्डी, नरेश कौशिक,

वर्धमान कौशिक, सुश्री ललिता कौशिक, बी. पुरुषोत्तम रेड्डी, मनोज जोशी, ध्रुव जोशी, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, हिमांशु शर्मा, अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, सुश्री मैरी मिट्जी, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री दामिनी ठाकर, सुश्री मृगना शेखर, ब्रजेश पांडे, सुश्री सुचिता दीक्षित, राजीव दीक्षित, अनिलेंद्र पांडे, अशोक के. महाजन, सुश्री गौरान, अभिषेक शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, के. के. एल. गौतम, चिकलवार राष्ट्रपाल, ए. के. सुमन, मनोज शर्मा। सिंह, के. एस. राठौड़, रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, अंकित अग्रवाल, मानस स्याल, देवाशीष भरुका, सुनील फर्नांडीस, सुश्री नूपुर कुमार, प्रस्तुत दलवी, पारस नाथ सिंह, सुश्री.

उज्जैनी चटर्जी, दर्पण सचदेवा, शुभम शर्मा, सुश्री ज्ञान मित्रा, विश्व पाल सिंह, बृजेन्द्र सिंह ढुल, विकास गोथवाल, आशीष पांडे, डॉ. पूजा झा, सुश्री नंदिता झा, अनिल कुमार, विजय पाल, वरिंदर कुमार शर्मा, सुशील करंजकर, धवेश पहुजा, के. एन. राय, गौरव अग्रवाल, शिवाजी एम. जाधव, अनीश आर. शाह, सुश्री कुर्रतुलैन, बृज किशोर साह, आदित्य एस. जाधव, निकोलस चौधरी, मेसर्स एस. एम. जाधव एंड कंपनी, सत्या [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकाश गौतम, राज बहादुर यादव, सुश्री शशि किरण, डॉ. के. एस. चौहान, एम. विजय भास्कर, रवि प्रकाश, संदीप मलिक, रमेश कुमार, रवींद्र कुमार, नवजोत नीलम, प्रकाश यादव, यादव

नरेंद्र सिंह, पर्व गर्ग, पवास कुलश्रेष्ठ, करनदीप सिंह रेखी, अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद एस. अवध, शांतनु कृष्ण, बी. कृष्ण प्रसाद, आर. सी. कौशिक, समीर अली खान, बी. श्रीधर, कुलदिप सिंह, श्रीमती अनिल कटियार, एम. के. दुआ, रवींद्र कुमार, गोपाल सिंह, राहुल कौशिक, ऋषिकेश बरुआ, सुश्री क्रिस्टी जैन, अर्जुन गर्ग, निकिलेश रामचंद्रन, सुश्री चंदन राममूर्ति, एम. सी. ढींगरा, पी. एन. पुरी, अनिल कुमार मिश्रा, रंजन मुखर्जी, एस. एन. भट, प्रशांत भूषण, संजीव मल्होत्रा, धनंजय गर्ग, उपस्थित दलों के लिए।

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

1. छुट्टी दी गई (डायरी No.38895/2017 को छोड़कर)।

2. इंदिरा साहनी और अन्य में पिछड़े वर्गों के पक्ष में 27 प्रतिशत आरक्षण विवाद का विषय था। वी. संघ का

भारत & Ors.[1]। इस न्यायालय की राय थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट किया गया कि निर्णय का संभावित संचालन होगा और पहले से की गई पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे वह नियमित रूप से हो या किसी अन्य आधार पर। केंद्रीय सेवाओं या राज्य सेवाओं में पदोन्नति के मामले में दिए गए आरक्षण को निर्णय की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने का निर्देश दिया गया था। 3. संविधान (सत्तर-सातवां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा, जो 17.06.1995 पर लागू हुआ, संविधान का अनुच्छेद 16 था

अनुच्छेद 16 (4-ए) को सम्मिलित करके संशोधित किया गया, जिसे बाद में नीचे पढ़ा गयाः

" इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का समर्थन

जो राज्य की राय में पर्याप्त रूप से नहीं हैं।

राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व "।

4. उपरोक्त संशोधन राज्य की इस राय को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217 जरनैल सिंह और ORS.v।

लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया संविधान के उद्देश्यों और कारणों के विवरण (सत्तत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मौजूदा नीति को जारी रखना।

5. भारत संघ और अन्य में। वी. विरपाल सिंह चौहान और Ors.[2], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन रोस्टर-पॉइंट पदोन्नतियों को त्वरित पदोन्नति का लाभ दिया गया था, उन्हें परिणामी वरिष्ठता नहीं मिलेगी। चूंकि सरकार की राय थी कि "पकड़" नियम की अवधारणा पदोन्नति पर वरिष्ठता के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में नहीं थी,

त्वरित पदोन्नति के अलावा परिणामी वरिष्ठता का लाभ देने के लिए संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अनुच्छेद 16 (4-ए) में और संशोधन किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 16 (4-ए) इस प्रकार हैः

" (4 - क) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए, परिणामी वरिष्ठता के साथ, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में, निम्नलिखित सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। राज्य "।

6. एससी और एसटी के लिए आरक्षित कई रिक्तियों को इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका। इनमें से जो रिक्तियां नहीं भरी गई थीं, उन्हें "बैकलॉग रिक्तियों" के रूप में माना जाता था और आगे बढ़ाया जाता था। इंद्र साहनी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरक्षण पर विचार किया गया है अनुच्छेद 16 (4) के तहत वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। व्यवहार में, बैकलॉग रिक्तियों को एक वर्ष में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के भीतर शामिल नहीं किया गया था। इंदिरा साहनी (उपरोक्त) के अनुसार, वर्तमान और साथ ही बैकलॉग रिक्तियों पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू करने के लिए 29.08.1997 पर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद कई

केंद्र सरकार को उस अन्याय के बारे में अभ्यावेदन दिए गए थे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ किया जाएगा, दिनांकित कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर, जिसके कारण अनुच्छेद 16 (4-बी) को शामिल करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में और संशोधन किया गया।

2 (1995) 6 एससीसी 684 [2022] 19 एस. सी. आर.

संविधान (अस्सी-प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा। अनुच्छेद 16 (4-बी) निम्नानुसार हैः

" (4 - (ख) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी -

एक वर्ष की किसी भी अधूरी रिक्तियों पर विचार करते हुए जो हैं

खंड (4) या खंड (4-ए) के तहत किए गए आरक्षण के लिए किसी भी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में भरे जाने के लिए आरक्षित है जिसे किसी भी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरा जाना है और रिक्तियों का ऐसा वर्ग

कुल रिक्तियों की संख्या पर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें भरा जा रहा है

उस वर्ष "।

7. अनुच्छेद 16 (4) में किए गए उपरोक्त संशोधनों की वैधता पर इस न्यायालय द्वारा एम. नागराज और अन्य मामलों में विचार किया गया था। वी. भारत संघ

& Ors.[3]। एम. नागराज (उपरोक्त) में जिस प्रमुख मुद्दे की पहचान की गई और निर्णय लिया गया, वह यह है कि क्या अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 335 में उल्लिखित कोई संवैधानिक सीमा संवैधानिक संशोधनों द्वारा समाप्त हो गई थी।

जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) हैं। इस न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा। संशोधनों को सक्षम प्रावधान माना गया था। इस न्यायालय ने कहा कि राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, यदि वह अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा, वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने होंगे।

8. त्रिपुरा राज्य में यह न्यायालय और अन्य। वी. जयंत चक्रवर्ती और Ors.[1] ने एम. नागराज (ऊपर) को एक बड़ी पीठ के लिए संदर्भित किया

(ऊपर) सात-न्यायाधीशों की पीठ पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था जरनैल सिंह और अन्य। वी. लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य "। . हालाँकि, एम. नागराज (ऊपर) में संग्रह के संबंध में निष्कर्ष निकला

3 (2006) 8 एससीसी 212 4 (2018) 1 एस. सी. सी. 146

5 (2018) 17 एस. सी. सी. 261

6 (2018) 10 एस. सी. सी. 396 जरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

पदोन्नति। 9. इस बीच, कुछ उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों पर विचार किया है जहां केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई पदोन्नति में आरक्षण है

और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य सरकारों पर एम. नागराज (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के रूप में हमला किया गया है। उच्च न्यायालयों के फैसलों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। शामिल मुद्दों में व्यापक समानताओं को देखते हुए, सभी मामले थे

एक साथ टैग किया। आई. डी. 1 पर, प्रत्येक राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को अपने-अपने मामलों में शामिल मुद्दों की पहचान करते हुए भारत के विद्वान महान्यायवादी को एक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। भारत के विद्वान महान्यायवादी से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारण के लिए मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए मामलों में उपस्थित वकील के साथ एक सम्मेलन आयोजित करें और उसके बाद प्रत्येक राज्य के संदर्भ में मुद्दों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। विद्वान महान्यायवादी द्वारा हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों को तैयार करने के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया था।

10. जब मामले को 14.09.2021 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह न्यायालय इसके लिए किसी भी तर्क पर विचार नहीं करेगा।

एम. नागराज (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर पुनर्विचार के रूप में जरनैल सिंह (उपरोक्त) में एक संविधान पीठ ने इस तरह के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय को सूचित किया गया कि मामलों के इस समूह के मामलों को ग्यारह श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। चूँकि उठाए गए सामान्य मुद्दों का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ के बिना किया जा सकता था, इसलिए पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से उन मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ करने का अनुरोध किया गया था जिन्हें विद्वान महान्यायवादी द्वारा पहचाना गया था। विद्वान महान्यायवादी और अन्य विद्वान वकीलों द्वारा पहचाने गए मुद्दों पर विचार करने और उन्हें सुनने के बाद, निर्धारण के लिए निम्नलिखित छह बिंदु तैयार किए गए हैं:

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. नागराज के अनुसार कौन सा पैमाना है?

1)

(ऊपर), सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों पर पहुंचा जा सकता है?

किस मात्रात्मक डेटा के संबंध में इकाई क्या है?

2)

प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने के लिए एकत्र किया जाना आवश्यक है? क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात

3)

पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए भारत की जनसंख्या को एक परीक्षा के रूप में लिया जाना चाहिए अनुच्छेद 16 (4-ए) के प्रयोजनों के लिए?

क्या अपर्याप्तता की समीक्षा के लिए कोई समय अवधि होनी चाहिए

4)

प्रतिनिधित्व?

क्या एम. नागराज (ऊपर) में निर्णय कहा जा सकता है

5)

संभावित रूप से काम करने के लिए?

क्या मात्रात्मक डेटा अपर्याप्तता दिखा रहा है

6)

प्रतिनिधित्व को नमूना लेने की विधियों के आधार पर एकत्र किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बी. के. पवित्रा और अन्य में कहा गया है। वी. भारत संघ और अन्य। ' (“ बी. के. पवित्रा द्वितीय ')?

1) गुणवत्तापूर्ण स्थान पर पहुँचने के लिए यार्डस्टिक

11. अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-ए) सक्षम प्रावधान हैं। एम. नागराज (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य का विवेकाधिकार आरक्षण पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के अस्तित्व के अधीन है। यह आगे कहा गया कि

पिछड़ेपन को वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना चाहिए जबकि अपर्याप्तता को तथ्यात्मक रूप से मौजूद होना चाहिए। समानता, न्याय और दक्षता की पहचान करने के लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है जो परिवर्तनशील कारक हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस न्यायालय की आगे यह राय थी कि दक्षता, पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की अवधारणाओं की पहचान करने और मापने की आवश्यकता है -

डेटा। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को चुनौती देने के मामले में, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे कि निर्णय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा, सार्वजनिक रोजगार में वर्ग के पिछड़ेपन और उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों द्वारा समर्थित है। भारत से।

7 (2019) 16 एस. सी. सी. 129 जरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

12. अवधारणाओं की पहचान करने और मापने का अभ्यास

दक्षता, पिछड़ेपन और आधार पर प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता

आँकड़ा कई कारकों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सक्षम प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी दावा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। इन परस्पर विरोधी दावों का सर्वोत्तम अनुकूलन कैसे किया जाना चाहिए, यह केवल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में स्थानीय प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। 8 13. विद्वान महान्यायवादी ने जरनैल सिंह (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि इस न्यायालय ने इसके लिए किसी भी परीक्षण का संकेत नहीं दिया है।

उस क्षेत्र का जो विशेष रूप से उनके क्षेत्र के भीतर है संविधान। आसिफ हमीद और ओआरएस में। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और Ors.¹0, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" जब किसी राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय का कार्य

कानून के अनुसार कार्रवाई की जांच करना है और

यह निर्धारित करें कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने कार्य किया है

के अधीन प्रदत्त शक्तियों और कार्यों के भीतर

संविधान और यदि नहीं, तो अदालत को कार्रवाई को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा करते समय न्यायालय को अपनी स्व-निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। अदालत सरकार की एक समन्वय शाखा की कार्रवाई पर निर्णय देती है। न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए

प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा, न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण नहीं है। संविधान अदालत को नीति के मामलों में कार्यपालिका को निर्देश या सलाह देने या संविधान के तहत विधायिका या कार्यपालिका के दायरे में आने वाले किसी भी मामले में उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है।

8 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। राजेश कुमार और अन्य। (2012) 7 एस. सी. सी. 1 'मल्लिकार्जुन राव और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1990) 2 एस. सी. सी. 707 1 0 1989 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 364 [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. पी. रामचंद्र राव बनाम। कर्नाटक राज्य ", आर. सी. लाहोटी, जे. ने एक मोनोग्राफ" न्यायिक सक्रियता और भारत में संवैधानिक लोकतंत्र-टी. आर. अंधारुजिना

निर्णय। न्यायिक सक्रियता की सराहना करते हुए सावधानी बरतने की बात कही गई

उक्त मोनोग्राफ में इस प्रभाव के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेने का काम सरकार की अन्य शाखाओं पर छोड़ देना चाहिए।

स्वयं में प्रवेश करने के बजाय समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना उपचारात्मक क्षेत्र में "। मोनोग्राफ से निम्नलिखित वाक्य

इस विशेष संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किए गए हैं: ..... अदालतों में विस्तृत डेटा एकत्र करने या जांच करने की सुविधाओं की कमी है।

डेटा के लिए उनके सामने पेश होने वाले अधिवक्ताओं पर भरोसा करने से उन्हें पक्षपातपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर अगर

न्यायालयों को अपने स्वयं के ज्ञान या शोध पर भरोसा करना पड़ता है-यह चयनात्मक और व्यक्तिपरक होना तय है। ..... इसके अलावा, चूंकि अदालतें अलग-अलग मामलों के लिए आदेश देती हैं, इसलिए उनके आदेश उन अलग-अलग और अलग-अलग स्थितियों के लिए कोई छूट नहीं देते हैं जिनका सामना प्रशासकों को करना पड़ेगा।

आदेश को अन्य मामलों में लागू करना।

16. किसी राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि निर्धारण असंख्य कारकों पर निर्भर करता है जो यह न्यायालय नहीं कर सकता है।

कल्पना करें। एम. नागराज (ऊपर) और जरनैल सिंह (ऊपर) मामले में इस न्यायालय द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया जाए। भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी का यह निवेदन कि इस न्यायालय को प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता को मापने के लिए मानदंड निर्धारित करना है, एक अनुकूल परिणाम नहीं दे सका क्योंकि जरनैल सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय ने राज्यों के लिए सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता को उचित पाया। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करने से राज्य सरकारों को दिए गए विवेकाधिकार में कमी आएगी। इसके अलावा, प्रचलित स्थानीय परिस्थितियाँ, जिनमें कारक होने की आवश्यकता हो सकती है, समान नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा, एम. नागराज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कानून की वैधता का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाएगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता मात्रात्मक आंकड़ों द्वारा समर्थित है या नहीं।

इसलिए, हमारी राय है कि आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पदोन्नति पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

1 1 11 (2002) 4 एस. सी. सी. 578 जरनैल सिंह और ORS.v।

2) मानक डेटा एकत्र करने के लिए इकाई

आरक्षण का प्रतिशत। इस न्यायालय की राय थी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (4) राज्य सरकार को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है जो राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य द्वारा निर्धारित पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इसे केवल इसलिए बदला या बदला नहीं जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों के पास है

पहले से ही सामान्य सीटों के खिलाफ नियुक्त/पदोन्नत किया गया है।

बहुत सारे 100 पद। इस न्यायालय ने कहा कि एक बार रोस्टर में निर्धारित 14 प्रतिशत पदों को भरने के बाद, निर्देशों द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद, सूची के संचालन का कोई औचित्य नहीं है। इस न्यायालय ने कहा कि "चालू खाता" केवल तब तक संचालित होना है जब तक कि निर्देशों द्वारा प्रदान किया गया कोटा नहीं पहुंच जाता है और उसके बाद नहीं। प्रारंभिक पदों को भरने के बाद संवर्ग में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उस श्रेणी से भरना होगा जिसमें पद शामिल था। सूची.

12 2 (1995) 2 एस. सी. सी. 745 [2022] 19 एस. सी. आर.

19. एम. नागराज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त सरकार को संवर्ग के संचालन में एक इकाई के रूप में संवर्ग की संख्या को लागू करना होगा।

यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी दिए गए वर्ग/समूह का सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। एक इकाई के रूप में संवर्ग की ताकत यह भी सुनिश्चित करती है कि 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का उल्लंघन न हो। आर. के. सभरवाल (ऊपर) में निर्धारित कानून का पालन करते हुए, एम. नागराज (ऊपर) में इस न्यायालय ने आगे कहा कि रोस्टर पद-विशिष्ट होना चाहिए न कि रिक्ति आधारित।

20. एम. नागराज (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह राज्य के लिए सीमा के अधीन पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए खुला है कि

प्रशासनिक दक्षता। रोस्टर का उल्लेख करते हुए, यह न्यायालय यह पाया गया कि उपयुक्त सरकार को रोस्टर के संचालन में एक इकाई के रूप में कैडर की ताकत को लागू करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी दिए गए वर्ग/समूह का सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। का संग्रह

जरनैल सिंह (ऊपर) के अनुसार, एम. नागराज (ऊपर) द्वारा निर्धारित प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में मात्रात्मक डेटा संबंधित कैडर से संबंधित है।

21. हालांकि यह स्पष्ट है कि मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए इकाई एक संवर्ग के संबंध में है, यह समझना आवश्यक है कि कौन सा संवर्ग है।

मतलब। बेहतर मूल्यांकन के लिए, केंद्र के साथ-साथ राज्यों के तहत सेवाओं पर लागू संबंधित नियमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित होना लाभदायक होगा। भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 बी की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद में राज्य सचिव ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 बनाए। भारत में सार्वजनिक सेवाओं को उक्त नियमों के नियम 14 के अनुसार निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया थाः (i) अखिल भारतीय सेवाएँ; (ii) केंद्रीय सेवाएँ, वर्ग-I; (iii) केंद्रीय सेवाएँ, वर्ग-II; (iv) प्रांतीय सेवाएँ; (v) विशेषज्ञ सेवाएँ; और (vi) अधीनस्थ सेवाएँ। पहला केंद्रीय वेतन आयोग

सेवाओं के वर्गीकरण पर विचार किया गया ताकि "उचित व्यवहार को सुरक्षित किया जा सके

कर्मचारियों को सरकार को उनकी सेवाओं के आधार पर, अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन के लिए सरकार को उचित वापसी, और किए गए कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के पदों पर कर्मचारियों को सापेक्ष निष्पक्षता। प्रथम केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय सेवाओं को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ सेवाएँ और निम्न सेवाएँ। जरनैल सिंह और ORS.v के संबंध में कुछ आपत्तियों पर ध्यान देने के बाद।

लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

"अधीनस्थ" और "हीन" शब्दों का अपमानजनक होने के रूप में उपयोग,

प्रथम केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की कि उन श्रेणियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रूप में संदर्भित किया जाए। केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुसार भारत संघ की सिविल सेवाओं का वर्गीकरण (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 ("सी. सी. ए. नियम, 1965") हैः (1) केंद्रीय सिविल सेवाएँ, प्रथम श्रेणी; (2) केंद्रीय सिविल सेवाएँ; द्वितीय श्रेणी; (3) केंद्रीय सिविल सेवाएँ, तृतीय श्रेणी; और (4) केंद्रीय सिविल सेवाएँ, चतुर्थ श्रेणी। उक्त नियमों के नियम 4 में प्रावधान है कि एक विशेष वर्ग में विभिन्न ग्रेड शामिल हो सकते हैं। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग संख्या एस. ओ. 5041 दिनांक 11.11.1975 में भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से और सी. सी. ए. नियम, 1965 के नियम 6 ए में दर्ज के अनुसार संघ के तहत सभी सिविल पदों को 'वर्ग' से 'समूह' में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, केंद्रीय सिविल सेवा/केंद्रीय सिविल पदों को समूह 'ए', समूह 'बी', समूह में संगठित किया गया।

' सी 'और ग्रुप' डी '। केंद्रीय सिविल सेवाओं की वर्तमान संरचना यह है कि एक विशेष सेवा को समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आगे ग्रेड शामिल होते हैं।

22. सुनवाई के दौरान, भारत संघ ने इस न्यायालय को शर्तों के अनुपालन के बारे में सूचित करते हुए एक हलफनामा दायर किया है

केंद्र के अधीन सेवाओं में पदोन्नति। भारत संघ ने आई. डी. 1 दिनांकित एक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया, जो आर. के. सभरवाल (उपरोक्त) पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि संवर्ग-शक्ति को हमेशा संवर्ग वाले पदों की संख्या से मापा जाता है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा केवल एक संवर्ग में एक पद के संबंध में किया जा सकता है। नतीजतन, कैडर की संख्या बनाने वाले पदों की संख्या के संबंध में आरक्षण के प्रतिशत पर काम करना होगा। भारत संघ ने इस न्यायालय के संज्ञान में लाया है कि भारत सरकार के तहत लगभग 90 मंत्रालय/विभाग हैं जिनमें 30 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। 90 में से 44 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी का उल्लेख करते हुए, भारत संघ ने कहा है कि लगभग 3800 संवर्ग हैं। हमें भी सूचित किया गया था तथ्य यह है कि उप सचिव के पद के अधिकारी की नियुक्ति के लिए 2013 से निर्देश मौजूद हैं

आरक्षण पर निर्देशों का अनुपालन। भारत संघ द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, हजारों आरक्षण रोस्टर बनाए जा रहे हैं भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों के विभिन्न कार्यालयों/इकाइयों/उप-इकाइयों में रखरखाव। कार्यालय ज्ञापन दिनांकित [2022] 19 एस. सी. आर.

02.07.1997 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सूची तैयार करने के लिए सिद्धांत शामिल हैं। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 (सी) के अनुसार, रोस्टर के उद्देश्य के लिए "संवर्ग" का अर्थ एक विशेष श्रेणी होगा और इसमें लागू भर्ती नियमों के संदर्भ में भर्ती के एक विशेष तरीके से भरे जाने वाले पदों की संख्या शामिल होगी। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997 में संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ डाक-आधारित रोस्टर बनाने और उनके संचालन के सिद्धांतों को विस्तृत करती हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 5 इस प्रकार है -

निम्नलिखित हैः

उदाहरण के लिए, 200 पदों वाले संवर्ग में, जहां भर्ती नियम 50 का अनुपात निर्धारित करते हैंः 50 प्रत्यक्ष भर्ती के लिए और पदोन्नति, प्रत्यक्ष भर्ती के लिए रोस्टर में 100 अंक होंगे और पदोन्नति के लिए 100 अंक होंगे-इस प्रकार कुल

200 ".

23. भारत संघ ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्यों के प्रचलित सेवा नियमों को दाखिल किया है।

सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश

इन राज्यों के तहत। आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 के नियम 2 (8) "संवर्ग" को एक सेवा में विभिन्न वर्गों, श्रेणियों और श्रेणियों में पदों के रूप में परिभाषित करता है। "सेवा" को परिभाषित किया गया है

नियम 2 (30) में राज्य सरकार द्वारा राज्य या अधीनस्थ सेवा के रूप में वर्गीकृत पदों या पदों के समूह या पदों की श्रेणियों के रूप में, जैसा भी मामला हो,

हो सकता है। विशेष प्रतिनिधित्व (आरक्षण) से संबंधित नियम 22 राज्य सरकार को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। उक्त नियम अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए 100 अंकों की सूची के कार्यान्वयन को संदर्भित करता है। पंजाब राज्य की आरक्षण नीति का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए बनाए गए रोस्टर रजिस्टरों के आधार पर है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने निर्णय लिया है भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.07.1997 पर जारी कार्यालय ज्ञापन के स्पष्टीकरण टिप्पणियों का पालन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना।

24. इस न्यायालय के उन निर्णयों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा जो "संवर्ग" अभिव्यक्ति के दायरे से संबंधित हैं। केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा, वर्ग I, भर्ती नियम, 1954 के नियम 4 (2) में प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी अभियंता, वर्ग I के ग्रेड में 75 प्रतिशत रिक्तियों को सहायक कार्यकारी अभियंता, वर्ग I से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। वी. भारत संघ और Ors.[13] 13 ने माना कि "श्रेणी" शब्द का उपयोग संवर्ग के अर्थ में किया जाता है। डॉ. चक्रधर पासवान बनाम में इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न विवाद।

बिहार राज्य और Ors.[14] का संबंध बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में निदेशक और तीन उप-निदेशकों के पदों से है, जिन्हें अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्य से एक साथ समूहीकृत किया जा रहा है। भारत का संविधान। इस न्यायालय की राय थी कि हालांकि निदेशक और तीन उप निदेशक प्रथम श्रेणी के पद हैं,

निदेशक और उप निदेशक एक 'संवर्ग' का गठन नहीं करते हैं। यह माना गया था कि "कैडर" शब्द का सेवा न्यायशास्त्र में एक निश्चित कानूनी अर्थ है। इस न्यायालय ने मौलिक नियम 9 (4) का उल्लेख किया जो "संवर्ग" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है किसी सेवा की ताकत या एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का हिस्सा। यह देखा गया कि चूंकि निदेशक का पद स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में सर्वोच्च पद है, जिसके लिए उप निदेशकों की तुलना में उच्च वेतनमान निर्धारित किया गया है, जो कम वेतनमान के हकदार हैं, वे दो अलग-अलग कैडर या ग्रेड का गठन करते हैं। इस न्यायालय ने आगे अपना विचार व्यक्त किया कि यह सरकार के लिए प्रशासनिक सुविधा और समीचीनता के अनुसार किसी भी विशेष सेवा में अधिक से अधिक संवर्गों का गठन करने के लिए खुला है। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निदेशक और उप निदेशक के पद सेवा में विभिन्न संवर्गों का गठन करते हैं।

25. के. मणिकराज बनाम. भारत संघ ", अपीलार्थी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित एक कल्याण निरीक्षक, ग्रेड III था।

उन्होंने यह तर्क देते हुए ग्रेड II में पदोन्नति का दावा किया कि चार पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे क्योंकि ग्रेड II के 26 पद थे। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि केवल 23 ग्रेड II पद थे क्योंकि तीन ग्रेड III पद जिन्हें अस्थायी रूप से ग्रेड II में अपग्रेड किया गया था, वे ग्रेड II निरीक्षकों की संवर्ग संख्या का हिस्सा नहीं थे। के. मणिकराज की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि पदोन्नति की आवश्यकता होती है।

13 (1975) 1 एस. सी. सी. 319 14 (1988) 2 एससीसी 214

15 (1997) 4 एससीसी 342 [2022] 19 एस. सी. आर.

एक श्रेणी से उच्च श्रेणी तक का स्थान, इस तरह की पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संवर्ग संख्या के साथ कुल संख्या

जिस श्रेणी में पदोन्नति मांगी गई थी, उसमें उपलब्ध पदों की संख्या। द.

"संवर्ग" का अर्थ भारत संघ बनाम में फिर से इस न्यायालय के विचार के लिए पड़ा। पुष्प रानी & Ors.[1] 16. " रेलवे स्थापना संहिता के 1985 के संस्करण में कैडर को एक सेवा की ताकत या एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के एक हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत पद स्वतंत्र संवर्गों का गठन करेंगे, यहां तक कि रोस्टर को लागू करने के उद्देश्य से भी। "संवर्ग" शब्द को एक बड़ा अर्थ देने का कारण यह था कि रेलवे प्रतिष्ठान में पदों को ग्रेड के संदर्भ में स्वीकृत किया जाता है। यहां तक कि विभिन्न श्रेणियों में बनाए गए अस्थायी, कार्य-प्रभारित, अतिरिक्त और छाया पद भी संवर्ग का हिस्सा हो सकते हैं। 26. राजस्थान राज्य बनाम में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक है। फतेह चंद सोनी ", जिसका अर्थ है

" पदोन्नति पर गौर किया गया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'पदोन्नति' में न केवल उच्च पद या पद पर उन्नति शामिल है, बल्कि यह भी निहित है

उच्च श्रेणी में उन्नति। क्या शस्त्र, शस्त्र सहायता और सेवाओं में सेवारत अधिकारियों में पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए एक ही संवर्ग शामिल है, यह सवाल इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और ए. एन. आर. में निर्णय लिया गया था। वी. लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी और Ors.[1]8 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वे एक एकल संवर्ग का गठन नहीं करते हैं, भले ही वे हो सकते हैं

समान वेतन प्राप्त करना, समान पद धारण करना, समान वर्दी पहनना और समान सेवा लाभों के साथ एक ही नियोक्ता की सेवा करना। चूंकि अधिकारियों को विभिन्न हथियारों और सेवाओं के लिए आवंटित किया गया था, जो उन्हें अलग-अलग संवर्गों में रखते हैं और केवल उस संवर्ग के पदों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए संविधान नहीं हो सकता है

एक सामान्य संवर्ग का। इस अदालत ने सब इंस्पेक्टर रूपलाल और अन्र में पहले के एक फैसले का उल्लेख किया। वी. लेफ्टिनेंट गवर्नर & Ors.[1]9 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो पदों की समानता को समान वेतन के एकमात्र कारक द्वारा नहीं आंका जाता है। इस संबंध में चार कारक हैं, अर्थात्: (i) पद की प्रकृति और कर्तव्य, (ii) किसी पद पर आसीन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिम्मेदारियां और शक्तियां; क्षेत्रीय या अन्य प्रभार की सीमा या निर्वहन की जाने वाली जिम्मेदारियां; (iii) पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता, यदि कोई हो; और (iv) पद का वेतन।

17 (1996) 1 एस. सी. सी. 562 18 (2016) 4 एससीसी 236

9 (2000) 1 एस. सी. सी. 644 जरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी (ऊपर) के मामले में इस अदालत की यह राय थी कि संवर्ग में एक पदधारी की दूसरे पदधारी के लिए हस्तांतरणीयता या विनिमेयता एक सामान्य संवर्ग की आवश्यक विशेषताएँ हैं।

27. R.K.Sabharwal (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार केवल किसी पद के संबंध में दावा किया जा सकता है।

संवर्ग और यह कि आरक्षण के प्रतिशत को संचालित करने में 'रिक्ति' की अवधारणा की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह भी माना गया कि संवर्ग की ताकत को हमेशा संवर्ग वाले पदों की संख्या से मापा जाता है।

मंत्रालय/विभाग। मौलिक नियम 9 (4) "संवर्ग" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है किसी सेवा की ताकत या एक अलग सेवा के रूप में स्वीकृत सेवा का हिस्सा। इकाई। कैडरों का गठन करना किसी राज्य का निर्णय होता है। पूरी सेवा को एक पद से दूसरे ग्रेड में उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से एक संवर्ग नहीं माना जा सकता है। पदोन्नति एक श्रेणी से अगली उच्च श्रेणी में की जाती है, जिसके संबंध में संवर्गों का गठन किया जाता है। इस न्यायालय ने डॉ. चक्रधर पासवान (उपरोक्त) मामले में

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निदेशक और उप निदेशक का पद एक संवर्ग नहीं बना सकता है। एक संवर्ग का गठन सरकार द्वारा अपने विवेकाधिकार के भीतर कई कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

29. आई. डी. 1 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन में, भारत संघ ने डाक-आधारित रोस्टर बनाने और संचालित करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैडर को एक विशेष श्रेणी में पदों की संख्या के रूप में माना जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रोस्टर ग्रेड-वार तैयार किए गए हैं जिनकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और पदोन्नति में आरक्षण इन रोस्टरों के आधार पर लागू किया जाता है, जो ग्रेड-वार काम करते हैं। एम. नागराज (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने मंजूरी दी कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत पूरे संवर्ग की संख्या पर लागू किया जाना था, जैसा कि आर. के. सभरवाल (ऊपर) में किया गया था। ऐसा करते समय, एम. नागराज (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोस्टर के संचालन के लिए इकाई कैडर की ताकत होगी। किसी संवर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से पहले, राज्य को [2022] 19 एस. सी. आर. एकत्र करने की बाध्यता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में जानकारी का संग्रह

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या पूरी सेवा या 'वर्ग'/'समूह' के संदर्भ में नहीं हो सकती है, लेकिन यह उन पदों के ग्रेड/श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए जिन पर पदोन्नति की मांग की जाती है। संवर्ग, जो पदोन्नति पद (पदों) के संबंध में मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से इकाई होनी चाहिए, अर्थहीन होगा यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित डेटा है। पूरी सेवा के संदर्भ में।

3) परीक्षण के रूप में प्रस्तावित प्रतिनिधित्व

समानता 30. आर. के. सभरवाल (ऊपर) में यह देखा गया कि राज्य सरकारें किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल आबादी को ले सकती हैं।

वर्ग और राज्य सेवाओं में उसका प्रतिनिधित्व इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से कि राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। एम. नागराज (ऊपर) में, इस न्यायालय का विचार था कि मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में स्थानीय प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में प्रशासन द्वारा परस्पर विरोधी दावों को अनुकूलित किया जाता है। चूंकि समानता, न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं और संदर्भ-विशिष्ट हैं, इसलिए इन कारकों की पहचान कैसे की जानी चाहिए और उन्हें कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। भारत के विद्वान महान्यायवादी का इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने का प्रयास कि भारत की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्या उन्हें पदोन्नति के पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है, परिणाम नहीं दे सका। इस न्यायालय ने जरनैल सिंह (ऊपर) मामले में राज्य में पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए परीक्षण के संबंध में एम. नागराज (ऊपर) के साथ कोई गलती नहीं पाई। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 16 (4 ए) और 16 (4-बी) के बीच उपयोग की जाने वाली भाषा में विरोधाभास पर जोर देते हुए, इस न्यायालय ने भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी के निमंत्रण को यह मानने के लिए अस्वीकार कर दिया कि भारत की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात पदोन्नति के पदों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए परीक्षा होनी चाहिए। इसलिए, हम इस पहलू पर कोई राय व्यक्त करने के लिए राजी नहीं हैं। यह राज्य का दायित्व है कि वह प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करे।

4) समीक्षा के लिए समय अवधि

31. दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग सर्वसम्मति है कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को स्थापित करने के लिए एकत्र किया गया डेटा, जिसे जरनैल सिंह & ORS.v कहते हैं।

लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करने के आधार की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंह ने भारत के लिए विद्वान महान्यायवादी की इस दलील का समर्थन किया कि हर 10 साल में समीक्षा की जानी चाहिए। वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण को बंद करने का समय आ गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण का बड़ा हिस्सा इन श्रेणियों के भीतर कुछ चुनिंदा लोगों के लाभ के लिए अर्जित किया गया, जिसने यह मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा की आवश्यकता को और मजबूत किया कि क्या इन श्रेणियों के भीतर कुछ समूहों/वर्गों ने वांछित प्रतिनिधित्व हासिल किया है। हम आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने पर कोई विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो पूरी तरह से विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। जहां तक समीक्षा का संबंध है, हमारी राय है कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा की अवधि उचित होनी चाहिए और इसे निर्धारित करने के लिए सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

5) निर्णय का संभावित संचालन

इन एम. नागराज

32. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुच्छेद 16 (4-ए) पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, इस न्यायालय ने इंद्र साहनी (ऊपर) में पहले से की गई पदोन्नति को बचा लिया। यह स्पष्ट किया गया था कि निर्णय केवल संभावित रूप से काम करेगा और प्रभावित नहीं करेगा। पहले से ही की गई पदोन्नति, चाहे वह अस्थायी, कार्यवाहक या नियमित/स्थायी आधार पर हो। पहले से ही-में आरक्षण के लिए किए गए मौजूदा प्रावधान

इंद्र साहनी (ऊपर) मामले में फैसले की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए केंद्रीय या राज्य सेवाओं में पदोन्नति जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद 16 (4-ए) को 17.06.1995 से लागू किया गया था। इस न्यायालय ने 19.10.2006 पर एम. नागराज (ऊपर) में अनुच्छेद 16 (4-ए) की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि

संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा, राज्य द्वारा वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह के अधीन, सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति की जा सकती है। विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पदोन्नति में आरक्षण सरकार को उच्च न्यायालयों में वर्ग के पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता का पालन न करने के आधार पर चुनौती दी गई है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस स्तर पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जरनैल सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन के संबंध में मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता से संबंधित आंकड़ों के संबंध में, उच्च न्यायालयों ने रिट याचिकाओं पर निर्णय दिया है जो इस न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं का विषय हैं।

33. न्यायालय का कर्तव्य एक नया कानून घोषित करना नहीं है, बल्कि

पुराने को बनाए रखें और व्याख्या करें। 20 होम्स, जे., कुह्न बनाम में अपनी असहमति में। फेयरमोंट कोल Co.[21] ने कहा, "मुझे पता है कि इस अदालत में यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि, सामान्य रूप से, राज्य के निर्णय केवल भविष्य के लिए कानून बनाएंगे। न्यायिक निर्णयों का लगभग पूर्वव्यापी संचालन रहा है।

एक हजार साल "। एम. नागराज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने बरकरार रखा

अनुच्छेद 16 (4-ए) की संवैधानिक वैधता, राज्य द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के अधीन है। कानून ने घोषित किया

एम. नागराज (उपरोक्त) में अनुच्छेद 16 (4-ए) की व्याख्या करने वाला इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 16 (4-ए) लागू होने की तारीख से लागू होता है, अर्थात जिस तारीख को अनुच्छेद 16 (4-ए) लागू हुआ था (देखें): रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ & Ors.22; लिली थॉमस & ओआरएस। वी. भारत संघ & Ors.2³)। भारत के विद्वान महान्यायवादी और भारत की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है, निर्णय की तारीख से एम. नागराज (उपरोक्त) में निर्धारित कानून की संभावित प्रयोज्यता के बारे में है।

34. यह न्यायालय, आई. सी. गोलक नाथ और अन्य में। वी. पंजाब और अन्न राज्य। 24 , यह अभिनिर्धारित किया कि संसद के पास संविधान के भाग III में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है ताकि मौलिक अधिकारों को छीन या कम किया जा सके।

हालांकि, पिछले लेनदेन को बचाने के लिए, संभावित का सिद्धांत अतिनिर्णय का आह्वान किया गया और निर्णय को संभावित संचालन दिया गया। गोलक नाथ मामले (ऊपर) में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए थेः

" (1) संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत को केवल संविधान से उत्पन्न होने वाले मामलों में ही लागू किया जा सकता है। (2) इसे केवल देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है क्योंकि इसके पास संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है।

भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून घोषित करना;

20 ब्लैकस्टोन, कमेंटरीज़ 69 (15 वां संस्करण। 1809) 21 215 यू. एस. 349 (1910)

23 (2000) 6 एससीसी 224 24 † (1967) 2 एससीआर 762 जरनैल सिंह और ORS.v।

(3) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसलों को निरस्त करते हुए घोषित कानून के पूर्वव्यापी संचालन का दायरा छोड़ दिया गया है

अपने विवेकाधिकार के अनुसार उसके सामने के कारण या मामले के न्याय के अनुसार ढाला जाना।

35. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति वैधानिक निषेध से परे एक घटक शक्ति है। 25 उड़ीसा में सीमेंट Ltd.v। उड़ीसा राज्य और इस न्यायालय ने कहा कि राहत को इस तरह से प्रदान किया जा सकता है, ढाला जा सकता है या उसके सामने की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि न्याय के हितों को आगे बढ़ाया जा सके। संभावित अतिनिर्णय का सिद्धांत संक्षेप में इस सिद्धांत की मान्यता है कि न्यायालय मामले के न्याय को पूरा करने के लिए दावा किए गए राहतों को ढालता है, जैसा कि सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड और ए. एन. आर. में माना गया है। वी. उत्तर प्रदेश का राज्य & Anr.27 यह आगे स्पष्ट किया गया कि जबकि गोलक नाथ (उपरोक्त) में, 'संभावित अधिमूल्यांकन' का तात्पर्य उसी मुद्दे पर पहले का न्यायिक निर्णय था जो अन्यथा अंतिम था, इस न्यायालय ने पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेते समय भी शक्ति का उपयोग किया था। इस न्यायालय के अन्य निर्णयों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्होंने संभावित अधिमूल्यांकन या संभावित संचालन के सिद्धांत को अनुमोदित और लागू किया है। निर्णय। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है कि यह न्यायालय अपने फैसले को संभावित रूप से लागू कर सकता है, यानी पिछले लेनदेन को बचाने के लिए अपने फैसले की तारीख से।

36. एम. नागराज (उपरोक्त) द्वारा निर्धारित कानून को संभावित संचालन के रूप में घोषित करने के लिए भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल के तर्क पर आपत्ति जताते हुए, श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ

अनारक्षित उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके राहत को ढाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. नागराज (ऊपर) ने यह नहीं कहा था कि यह संभावित रूप से लागू होगा। इस न्यायालय के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या किसी निर्णय को संभावित रूप से लागू किया जा सकता है।

बाद में इस न्यायालय की एक अलग पीठ द्वारा। संभावित अतिशासन का सिद्धांत गोलक नाथ (ऊपर) में भारतीय कानून पर लागू किया गया था।

25 अशोक कुमार गुप्ता और अन्र। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। (1997) 5 एस. सी. सी. 201 26 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 430

27 (2001) 5 एससीसी 519 [2022] 19 एस. सी. आर.

उस सिद्धांत का पालन करके जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित था। लिंकलेटर v के फैसले का संदर्भ दिया गया था। वॉकर 2 8 ने मैपवी में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले की घोषणा की। ओहियो2 9 संचालन में संभावित होगा।

37. बेहतर समझ के लिए, इस मुद्दे को लिंकलेटर (ऊपर) में संदर्भित करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय सप्ताह v.

नियम के अनुसार, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यों को राज्य परीक्षणों में अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति देना उचित प्रक्रिया के बुनियादी मानकों से अलग नहीं था। बाद में, मैप (ऊपर) में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट अभिनिर्धारित किया कि चौदहवें संशोधन के उचित प्रक्रिया खंड द्वारा चौथे संशोधन के तलाशी और जब्ती प्रावधानों के उल्लंघन में जब्त किए गए साक्ष्य का बहिष्कार राज्यों के लिए आवश्यक था। लिंकलेटर (ऊपर) में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट को मैप (ऊपर) में अपने पहले के फैसले के संभावित संचालन के सवाल का सामना करना पड़ा। वोल्फवी में निर्णय का अतिनिर्णय। मैप (सुप्रा) द्वारा कोलोराडो (सुप्रा) को यू. एस. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां करके संभावित बनाया गया थाः

" 22. हम मानते हैं कि मैप से पहले वुल्फ सिद्धांत का अस्तित्व एक सक्रिय तथ्य है और इसके परिणाम हो सकते हैं जिन्हें उचित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अतीत को हमेशा एक नई न्यायिक घोषणा से मिटाया नहीं जा सकता है। चिकोट काउंटी जल निकासी जिला। वी. बैक्सटर स्टेट बैंक, ऊपर, 308 यू. एस. 374 पर, 60 एस. सी. टी. 319 पर। हजारों मामले जो अंततः थे

वुल्फ पर निर्णय को मिटाया नहीं जा सकता है। विशेष तौर पर

निजी और आधिकारिक आचरण पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ 'पूर्व निर्णयों को अंतिम माना जाता है और उन पर कार्य किया जाता है

तदनुसार 'निहित' हो गए हैं। और अंत में, '(वुल्फ सिद्धांत) और इसके पिछले अनुप्रयोग दोनों की प्रकृति के प्रकाश में सार्वजनिक नीति' को इसका उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आइबीआइडी। संक्षेप में, हमें मानचित्र नियम के उद्देश्य को देखना चाहिए;

28 § 381 अमेरिका 618 (1965): 1965 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 126 29 9 367 यूएस 643 (1961)

30 232 अमेरिका 383 (1914)

31 338 अमेरिका 25 (1949)

अरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

वुल्फ सिद्धांत पर निर्भरता; और एक पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के न्याय के प्रशासन पर प्रभाव

नक्शा.

23. यह स्पष्ट है कि वुल्फ कोर्ट ने एक बार चौथे संशोधन के अनुचित खोज और जब्ती खंड को पाया था चौदहवें संशोधन के नियत प्रक्रिया खंड के माध्यम से राज्यों पर लागू, इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि क्या बहिष्करण नियम को चौथे संशोधन के आदेश के भीतर शामिल किया गया था। यह नकारात्मक में तय किया गया था। यह स्पष्ट है कि इससे पहले के तथ्यात्मक विचारों के आधार पर

चर्चा करने पर वुल्फ कोर्ट ने तब निष्कर्ष निकाला कि बहिष्करण नियम को उचित प्रक्रिया की आवश्यकता के रूप में राज्यों तक विस्तारित करने के लिए चौथे संशोधन को लागू करना आवश्यक नहीं था। मैप का मुख्य उद्देश्य चौथे संशोधन को लागू करना था

अपवर्जनकारी नियम को उसके अधिकारों में शामिल करना। यह पाया गया कि यह कानूनविहीन पुलिस कार्रवाई के लिए एकमात्र प्रभावी निवारक था। वास्तव में, वुल्फ के बाद से सभी मामलों की आवश्यकता है

अवैध साक्ष्य का बहिष्कार अवैध पुलिस कार्रवाई के लिए एक प्रभावी निवारक की आवश्यकता पर आधारित है। देखें, उदाहरण के लिए, रिया बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊपर। हम यह नहीं कह सकते कि इस उद्देश्य को नियम को पूर्वव्यापी बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। द.

मैप से पहले पुलिस का कदाचार पहले ही हो चुका है और इसमें शामिल कैदियों को रिहा करके इसे ठीक नहीं किया जाएगा। न ही यह नाजुक राज्य-संघीय संबंधों में सामंजस्य जोड़ेगा, जिसके बारे में हमने मैप के उद्देश्य के अभिन्न अंग के रूप में बात की है। अंत में, पीड़ितों के घरों और प्रभावों की टूटी हुई गोपनीयता को बहाल नहीं किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति

बहुत देर से आता है।

24. यह सच है कि अभियुक्त और राज्य दोनों ने इस पर भरोसा किया

भेड़िया। वास्तव में, वुल्फ और इरविन दोनों ने अवैध खोजों के पीड़ितों के लिए अपनी गोपनीयता के उल्लंघन के लिए मुआवजे की मांग करने का रास्ता दिखाया। कुछ लोगों ने उसी का अनुसरण किया। मोनरो वी. देखें। पेप, 365 यू. एस. 167,81 एस. 473, 5 L.Ed.2d 492 (1961)। इसके अलावा, इरविन में, एक सहमति राय में एक झंडे ने चेतावनी दी कि वुल्फ

तूफानी मौसम में था। दूसरी ओर, राज्यों ने वुल्फ पर भरोसा किया और उसके आदेश का पालन किया। के अंतिम निर्णय

मैप से पहले दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। बार-बार यह [2022] 19 एस. सी. आर.

अदालत ने वुल्फ पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया और अपनी अंतर्निहित मंजूरी दे दी।

इसके नियम को लागू करने में सैकड़ों मामलों में। बहिष्करण नियम के रूप में वुल्फ सिद्धांत को अस्वीकार करने का उद्देश्य पुलिस की अराजक कार्रवाई को रोकना और प्रभावी ढंग से करना था

चौथा संशोधन लागू करें। इस विलंबित तिथि पर दोषियों की थोक रिहाई से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा

25. अंत में, न्याय के प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता पर विचार करने के लिए हित हैं। मैप के नियम को पूर्वव्यापी बनाने से न्याय के प्रशासन पर अधिकतम कर लगेगा। सुनवाई होनी चाहिए साक्ष्य की बहिष्करण लंबे समय से नष्ट, गलत स्थान पर या बिगड़ गया है। यदि इसे बाहर रखा जाता है, तो मूल मुकदमे के समय उपलब्ध गवाह उपलब्ध नहीं होंगे या यदि वे पाए जाते हैं तो उनकी याददाश्त कम हो जाएगी। इस प्रकार इस तरह के एक असाधारण प्रक्रियात्मक हथियार को वैध बनाना जिसका अपराध पर कोई असर नहीं है, न्याय के प्रशासन को गंभीर रूप से बाधित करेगा।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि लिंकलेटर (ऊपर) में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने मैप (ऊपर) में अपने पहले के फैसले को संभावित घोषित किया है। संचालन में, मैप (ऊपर) के परिणामों पर विचार करने के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा रहा है।

38. इस न्यायालय ने इंद्र साहनी (ऊपर) में अनुच्छेद 16 (4) की व्याख्या की।

(क) संविधान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति फैसले की तारीख से पाँच साल की और अवधि के लिए दी गई थी। अशोक कुमार गुप्ता और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति को चुनौती दी गई थी। चुनौती के आधारों में से एक यह था कि महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के संभावित निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। रंगचारी 3 3 और फैसले की तारीख से पांच साल बाद इंद्र साहनी (ऊपर) में अनुपात के संचालन के लिए संविधान की योजना के साथ असंगत और विपरीत था। दूसरे शब्दों में, अशोक कुमार गुप्ता (ऊपर) में अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आरक्षण घोषित करने के बाद

32 (1997) 5 एस. सी. सी 201 33 (1962) 2 एस. सी. आर. 586 अरनैल सिंह और ORS.v।

लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]निर्णय के संचालन को भविष्य की तारीख तक स्थगित करना क्योंकि यह अमान्य कार्रवाई का अपराध है और अपीलार्थियों के मानसिक अधिकारों का उल्लंघन है। अशोक कुमार गुप्ता (ऊपर) में, इस न्यायालय का कहना था कि इस न्यायालय के लिए इंद्र साहनी (ऊपर) में निर्णय को स्थगित करने या रंगचारी (ऊपर) में अनुपात को संभावित रूप से कम करने का कोई निषेध नहीं है। इस न्यायालय ने आगे कहा किः

" 60. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग पर अनुच्छेद 142 (1) के तहत कोई सीमा नहीं है। शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता "कारण में पूर्ण न्याय" करना है।

या बात "। द्वारा बनाए गए क़ानून के साथ असंगति

संसद तब उत्पन्न होती है जब यह न्यायालय इसके तहत शक्ति का प्रयोग करता है

अनुच्छेद 142 (2) उसमें वर्णित मामलों के लिए है।

मूल के व्यक्त वैधानिक प्रावधानों में विसंगति कानून का अर्थ होगा और कुछ व्यक्त के रूप में समझा जाएगा

किसी भी मूल वैधानिक कानून में निहित निषेध। द.

अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति एक घटक शक्ति है जो वैधानिक निषेध से परे है। अधीन शक्ति के प्रयोग से पहले

अनुच्छेद 142 (2), न्यायालय उस निषेध को अपनाएगा। (एस. आई. सी. प्रावधान) अनुच्छेद 142 (2) के तहत कदम उठाने से पहले विचार में लिया जाता है और हमें राहत को ढालने के लिए या जब यह न्यायालय उचित निर्णय लेता है तो कोई सीमित शब्द नहीं मिलते हैं।

न्याय देना या अन्याय को दूर करना। वाक्यांश "पूर्ण"

अनुच्छेद 142 (1) में उत्कीर्ण न्याय "विस्तार का शब्द है।

मानव सरलता या कानून के संचालन के कारण या परिणाम से उत्पन्न असंख्य स्थितियों का सामना करने के लिए लोच के साथ जोड़ा गया

संविधान के अनुच्छेद 32,136 और 141 के तहत घोषित कानून या कानून

संविधान और किसी भी के भीतर निहित या संलग्न नहीं किया जा सकता है

सीमाएँ या वाक्यांश विज्ञान। प्रत्येक मामले में जाँच की आवश्यकता है

इसकी पृष्ठभूमि का प्रकाश और निर्णय का अमिट प्रभाव। अंतिम विश्लेषण में, यह इस न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करना है

इससे पहले के कारण या पदार्थ की आवश्यकताएँ। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी या आदेश की निरर्थकता का सवाल ही नहीं उठता है। जैसा कि पहले कहा गया था, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक घटक शक्ति है। तो, एक कानून के शून्य होने का सवाल शुरू से ही शून्य या शून्य या शून्य योग्य है। उठती नहीं है।

61. मान लीजिए, संविधान ने यह सम्मान सौंपा है

अन्याय को दूर करने या [2022] 19 एस. सी. आर. करने की शक्ति के साथ इस न्यायालय का कर्तव्य।

इस न्यायालय के समक्ष किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय।

रंगचारी [(1962) 2 एससीआर 586 एआईआर 1962 एससी

36] यह अनुपात तीन दशकों से अधिक समय से चल रहा था, जिसके तहत भारत संघ या संबंधित राज्य सरकारों की कई सेवाओं, श्रेणियों या संवर्गों में कई व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया था। इस न्यायालय ने यह देखने के लिए कि उस कानून के संचालन में कोई रुकावट नहीं आएगी और, जैसा कि पहले कहा गया था, पदोन्नति में आरक्षण के कानून के संचालन को सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए, न्यायिक रचनात्मकता द्वारा संभावित अतिनिर्णय के सिद्धांत का विस्तार किया।

गोलक नाथ मामले [(1967) 2 एस. सी. आर. 762 में आवेदन किया गयाः ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1643] वैधानिक कानून और करुणाकर मामले में न्यायिक मिसाल के मामले में [(1993) 4 एस. सी. सी. 727: 1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184: (1993) 25 ए. टी. सी. 704] और मंडल में निर्णय के संचालन को स्थगित करने के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।

मामला [1992 सप्लीमेंट (3) एससीसी 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1: (1992) 22 ए. टी. सी. 385] तारीख से पाँच साल के लिए

निर्णय। यह न्यायिक रचनात्मकता अभिशाप नहीं है

संवैधानिक सिद्धांत लेकिन एक स्वीकृत सिद्धांत के रूप में टकटकी निर्णय का विस्तारित पहलू। इसे इस रूप में लेबल नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 16 (4) के लिए परंतुक, जिसके लिए प्रतिवाद किया गया है।

39. क्या भारतीय पर्यावरण परिषद में इस न्यायालय का निर्णय-कानूनी कार्रवाई बनाम। भारत संघ और Ors.[3]4 संभावित विषय था-गोवा रियल एस्टेट में विचार का विषय और

कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ & Ors.[3]5. इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो लीगल एक्शन (ऊपर) में फैसले पर विस्तृत विचार करने के बाद, गोवा रियल एस्टेट (ऊपर) में इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन (ऊपर) में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन इस अदालत का इरादा फैसले को संभावित प्रभाव देना था। उपरोक्त एक उदाहरण है जहाँ इस न्यायालय ने पहले के फैसले को संभावित प्रभाव घोषित किया था।

निर्णय। उक्त निर्णय में इस न्यायालय के विचार के लिए जो विवाद उत्पन्न हुआ वह प्रबंधक (वित्त) के पदों पर नियुक्ति से संबंधित था। 34 (1996) 5 एस. सी. सी. 281

35 (2010) 5 एस. सी. सी. 388

36 (2003) 7 एस. सी. सी. 517 जरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

और लेखा) कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम में। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या के चयन को चुनौती दी। 4 कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष। हालांकि उच्च के विद्वान एकल न्यायाधीश अदालत ने प्रतिवादी नं. 4 उसमें उनकी नियुक्ति की तारीख को अयोग्य होने के लिए, चयन इस आधार पर बाधित नहीं किया गया था कि वह

साक्षात्कार के समय तक योग्यता प्राप्त की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अशोक कुमार शर्मा और मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

Anr.v। चंदर शेखर और Anr.³7 (अशोक कुमार शर्मा मामला सं। आई)। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बरकरार रखा। इसके बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ को सूचित करते हुए एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया कि अशोक कुमार शर्मा मामले संख्या I में इस अदालत के फैसले को अशोक में खारिज कर दिया गया था। कुमार शर्मा और अन्य। वी. चंदर शेखर और Anr.³8 (अशोक कुमार शर्मा मामला सं। II)। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि खंड पीठ के फैसले की तारीख पर, अशोक कुमार शर्मा मामला सं। मैंने मैदान संभाला, उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अशोक कुमार शर्मा मामला सं। II अशोक कुमार शर्मा मामले सं. 2 में फैसले की समीक्षा में इस अदालत का एक फैसला था। मैं, जो इसलिए, बाद के निर्णय के साथ विलय हो गया, बाद के निर्णय को सभी उद्देश्यों के लिए दिया गया एकमात्र निर्णय बनाते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने अशोक कुमार शर्मा मामले संख्या 1 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं करने में त्रुटि की थी। II. ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने गोलक नाथ (ऊपर), अशोक कुमार गुप्ता (ऊपर) और अन्य मामलों में इस न्यायालय के संभावित अधिमूल्यांकन और पहले के निर्णयों के सिद्धांत का उल्लेख किया। यह न्यायालय यह अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ा कि जब तक यह किसी विशेष निर्णय में इंगित नहीं किया जाता है, तब तक कोई संभावित अतिनिर्णय नहीं होगा।

41. मामले के तथ्य और एम. ए. मूर्ति (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा हल किया गया विवाद अशोक कुमार शर्मा मामले सं. II पहले की समीक्षा में प्रस्तुत किया गया

निर्णय। उक्त मामले में संभावित अतिनिर्णय का सवाल ही नहीं उठा। एम. ए. मूर्ति (ऊपर) में किया गया अवलोकन कि कोई संभावित अतिनिर्णय नहीं होगा जब तक कि विशेष निर्णय में संकेत नहीं दिया जाता है। ओबिटरडिक्टम को ब्लैक लॉ डिक्शनरी (9 वां संस्करण, 2009) में इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" आज्ञाकारी उक्ति। - न्यायिक राय देते समय की गई एक न्यायिक टिप्पणी, लेकिन एक जो निर्णय के लिए अनावश्यक है

37 1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 611 38 (1997) 4 एससीसी 18 [2022] 19 एस. सी. आर.

मामला और इसलिए पूर्ववर्ती नहीं (हालांकि इसे प्रेरक माना जा सकता है)। अक्सर डिक्टम को छोटा किया जाता है या, कम आम तौर पर,

ओबिटर।

एक "आज्ञाकारी उक्ति" को कड़ाई से कहना एक न्यायाधीश द्वारा, एक कारण पर अपने निर्णय में, "वैसे" द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणी या राय है, जो कि संयोग से या संपार्श्विक रूप से है, और सीधे अदालत के समक्ष प्रश्न पर नहीं है; या यह न्यायाधीश या अदालत द्वारा केवल चित्रण, तर्क, सादृश्य या सुझाव के माध्यम से प्रतिपादित कानून का कोई बयान है। वकीलों के आम भाषण में, कानूनी राय की ऐसी सभी गैर-न्यायिक अभिव्यक्तियों को "डिक्टा" या "ओबिटर डिक्टा" के रूप में संदर्भित किया जाता है, इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है।

व्हार्टन लॉ लेक्सिकन (14 वां संस्करण, 1993) "ओबिटर डिक्टम" शब्द को "एक राय के रूप में परिभाषित करता है जो किसी निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है; एक अवलोकन किसी मामले के दौरान किसी न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि के बारे में, लेकिन उसके निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है, और इसलिए इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है; जिसे अक्सर आज्ञाकारी उक्ति कहा जाता है, 'वैसे भी एक टिप्पणी'। एक ऐसे बिंदु पर निर्णय जो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है या जो उस निर्णय में निर्धारण के लिए नहीं आता है, एक आज्ञाकारी उक्ति बन जाता है। 39 यह एक सुविचारित प्रस्ताव है।

कि केवल अनुपात निर्णय बाध्यकारी या आधिकारिक उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है। न्यायालय की केवल सामान्य टिप्पणियों या आकस्मिक अभिव्यक्तियों पर भरोसा रखने से बहुत लाभ नहीं होता है। 40 इसलिए, एम. ए. मूर्ति (ऊपर) में आकस्मिक और अनावश्यक अवलोकन कि कोई संभावित अतिनिर्णय नहीं होगा जब तक कि यह किसी विशेष निर्णय में इंगित नहीं किया जाता है।

आज्ञाकारी है और बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा, एम. ए. मूर्ति (ऊपर) में, यह न्यायालय अशोक कुमार गुप्ता (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के अनुपात पर विचार करने में विफल रहा, इसे संदर्भित करने के बाद भी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अशोक कुमार गुप्ता (ऊपर) में इंद्र साहनी (ऊपर) द्वारा रंगाचारी (ऊपर) के संभावित अधिमूल्यांकन को बरकरार रखा गया था।

39 ग्वालियर के एच. एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (1971) 1 एससीसी 85 40 गिरनार ट्रेडर्स बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(2007) 7 एस. सी. सी. 555 जरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए। फैसला एम. नागराज (ऊपर) का अनुच्छेद 2006 में दिया गया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16 (4 ए) की व्याख्या की गई थी जो 1995 में लागू हुआ था। चूंकि एम. नागराज (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांतों को वर्ष 1995 से प्रभावी बनाना कई सिविल सेवकों के हितों के लिए हानिकारक होगा और लंबे समय तक व्यक्तियों की वरिष्ठता को अस्थिर करने का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यह आवश्यक है कि एम. नागराज (ऊपर) के फैसले को संभावित प्रभाव के रूप में घोषित किया जाए।

6) गुणवत्तापूर्ण डेटा और नमूना लेने की विधि

43. कर्नाटक विधानमंडल ने कर्नाटक को अधिनियमित किया

आरक्षण (राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए) अधिनियम, 2002 के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण। इस न्यायालय ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों को घोषित किया इस आधार पर असंवैधानिक कि कर्नाटक सरकार किसी भी बाध्यकारी आवश्यकता को दिखाने के लिए मात्रात्मक डेटा का उत्पादन करने में विफल रही

अनुच्छेद 16 (4-ए) और इसलिए, धारा 3 और 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करना

उक्त अधिनियम को असंवैधानिक माना गया। इसके बाद, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपेः

" (1) अनुसूचित जातियों के संवर्गवार प्रतिनिधित्व में जानकारी एकत्र करें

और सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जनजातियाँ।

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन के बारे में जानकारी एकत्र करें। (3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के कारण प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करें।

44. 05.05.2017 पर, 'कर्नाटक में पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता पर रिपोर्ट' थी

रत्न प्रभा समिति द्वारा प्रस्तुत। कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट और कर्नाटक विस्तार को स्वीकार कर लिया

आरक्षण (राज्य की सिविल सेवाओं में पदों के लिए) के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता विधेयक 2017 को विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था

और उसके बाद, 14.06.2018 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के संबंध में,निकाय, अनुदान-सहायता संस्थान और स्वायत्त निकाय, और इसलिए, प्रकृति में केवल प्रतिनिधि हैं। इस न्यायालय ने एक सारांश को पुनः प्रस्तुत किया

रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट, जो इस प्रकार हैः " 2.5 . सारांशः

(1) राज्य के 31 विभागों में पिछले 32 वर्षों (1986 को छोड़कर) के लिए एकत्र किए गए समय श्रृंखला आंकड़ों का विश्लेषण।

सरकार अपर्याप्तता पर समृद्ध जानकारी प्रदान करती है

विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

कर्नाटक सिविल सेवा।

(2) 2016 के आंकड़ों के अनुसार स्वीकृत पदों की कुल संख्या 7,45,593 है, जिनमें से 70.22% या 5,23,574 31 में भरे गए हैं।

विभाग।

(3) रिक्तियों या पदों को प्रत्यक्ष भर्ती (डी. आर.) और परिणामी पदोन्नति सहित पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। (4) सभी के एससी और एसटी कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व

31 कुल स्वीकृत पदों की तुलना में विभाग

इसमें क्रमशः 10.65% और 2.92% शामिल हैं। इससे साबित होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता।

(5) औसतन अनुसूचित जातियों के लिए संवर्ग ए में प्रतिनिधित्व 12.07% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2.70% है जो अपर्याप्तता को पर्याप्त रूप से साबित करता है

प्रतिनिधित्व।

(6) कैडर बी में प्रतिनिधित्व की सीमा अध्ययन अवधि के सभी वर्षों के लिए एसटी के लिए औसतन 9.79% और 2.34% है।

(7) यह देखा गया है कि कैडर 'सी' में एससी प्रतिनिधित्व का औसतन 3.05% अपर्याप्त है, जबकि 0.05% अधिक है।

एसटीएस के लिए प्रतिनिधित्व देखा जाता है।

(8) कैडर डी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का औसतन 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। हालांकि, पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में 3 प्रतिशत की अपर्याप्तता पाई गई है

इस कैडर में।

जरनैल सिंह और ORS.v। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [एल. नागेश्वर राव, जे.]

(9) संवर्ग ए, बी और सी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व औसतन क्रमशः 12,9.79 और 12.04% है।

संवर्ग डी यह 16.91 है।

(10) संवर्ग ए और बी में एसटी के मामले में प्रतिनिधित्व 2.7 और 2.34% है। हालांकि, समूह सी और समूह डी के मामले में क्रमशः 0.14 और 0.93% का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व पाया जाता है। (11) कुछ वर्षों और विभागों में अति-प्रतिनिधित्व का श्रेय या तो प्रत्यक्ष भर्ती या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या बैकलॉग रिक्तियों को भरने को दिया जाता है क्योंकि बाद वाला इसके अंतर्गत नहीं आता है।

50 % आरक्षण की सीमा।

2.6 : निष्कर्षः

डेटा स्पष्ट रूप से समूह ए, बी और सी में सिविल सेवाओं में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समूह डी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

इस न्यायालय ने कैडरों के विपरीत समूह ए, बी, सी और डी के आधार पर एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट को चुनौती दी, जो योग्यता के बिना थी। उक्त निष्कर्ष का आधार

न्यायालय का यह कहना था कि सेवा न्यायशास्त्र में 'संवर्ग' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने कहा कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर मात्रात्मक डेटा का संग्रह एम. नागराज (उपरोक्त) के अनुसार राज्य की सेवाओं में है। इसके अलावा, इस न्यायालय का यह भी विचार था कि अनुच्छेद 16 (4-ए) राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का उल्लेख करता है। यह आगे घोषित किया गया कि समूहों के आधार पर डेटा का संग्रह कैडर से संबंधित डेटा को बाहर नहीं करता है, क्योंकि एक समूह में उस समूह के सभी कैडरों में पद शामिल होते हैं।

45. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह प्रदान करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है

पदोन्नति में आरक्षण, जैसा कि एम. नागराज में इस अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है

(ऊपर)। एम. नागराज (सुप्रा) और जरनैल सिंह (सुप्रा) के अनुसार, आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से इकाई एक संवर्ग है। पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से, पूरी सेवा को एक इकाई के रूप में नहीं लिया जा सकता है और एक संवर्ग के रूप में माना नहीं जा सकता है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। कर्नाटक राज्य में सेवाओं की संरचना केंद्र सरकार में सेवाओं की तर्ज पर है। सेवाओं को 'समूहों' में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे कैडरों में विभाजित किया जाता है। इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि एक कैडर एक का पर्याय नहीं है

' समूह '।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. रत्न प्रभा समिति के लिए संदर्भ का पहला कार्यकाल

डेटा कैडर-वार एकत्र करना था। बी. के. पवित्रा द्वितीय (उपर्युक्त) में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष कि 'संवर्ग' अभिव्यक्ति का सेवा न्यायशास्त्र में कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है, जिन्हें बिंदु 2 का उत्तर देते समय ऊपर संदर्भित किया गया है। स्पष्ट शब्दों में, एम. नागराज (ऊपर) ने माना कि मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए इकाई संवर्ग है, न कि सेवाएं जैसा कि बी. के. पवित्रा द्वितीय (ऊपर) में आयोजित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16 (4-ए) राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने में सक्षम बनाता है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान राज्य के तहत सेवाओं में पदों के वर्ग या वर्गों के संदर्भ में है। यह कि 'समूहों' में कैडर होते हैं, यह एक तथ्य है जिसे इस न्यायालय ने बी. के. पवित्रा द्वितीय (उपरोक्त) में ध्यान में रखा था। यह निष्कर्ष कि 'समूहों' के आधार पर डेटा का संग्रह वैध है, है

एम. नागराज (ऊपर) और जरनैल सिंह (ऊपर) में इस अदालत के फैसलों के विपरीत।

47. राज्य को पदोन्नति में आरक्षण को उचित ठहराना चाहिए।

जिस संवर्ग में पदोन्नति की जाती है। आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए

एक 'समूह' से संबंधित, जो एक सेवा में कुछ कैडरों का एक समामेलन होगा, कैडर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की सही तस्वीर नहीं देगा, जिसके संबंध में पदोन्नति में आरक्षण की मांग की जाती है। रोस्टर तैयार कैडर-बुद्धिमान होते हैं न कि समूह-बुद्धिमान। नमूना लेने की विधि जो रत्न प्रभा समिति द्वारा अपनाई गई थी, डेटा के संग्रह के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय सूत्र हो सकता है। हालांकि, पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से, कैडर, जो एक 'समूह' का हिस्सा है, इकाई है और प्रत्येक कैडर के संबंध में डेटा एकत्र किया जाना है। इसलिए, हम मानते हैं कि बी. के. पवित्रा द्वितीय (ऊपर) में इस न्यायालय का निष्कर्ष कैडरों के बजाय 'समूहों' के आधार पर डेटा संग्रह को मंजूरी देना एम. नागराज (ऊपर) और जरनैल सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

48. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है

किसी भी व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष क्योंकि हमने केवल उन सामान्य मुद्दों का उत्तर दिया है जो पक्षों को सुनने के बाद तैयार किए गए थे।

49. आगे की सुनवाई के लिए 24/2/2022 पर मामलों को सूचीबद्ध करें।

बिभूति भूषण बोस

मुद्दों का जवाब दिया।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)